# अध्याय-II

# खान एवं भूविज्ञान विभाग

## 2.1 परिचय

सरकार स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग स्तर पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान (डीएमजी), उदयपुर, संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), छः अतिरिक्त निदेशक, खान (एडीएम), छः अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान (एडीजी) और एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान को सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त निदेशक, खान नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते है, प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण खनि अभियंता (एसएमई) करता है।

अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण और खनिजों के अवैध उत्खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता उत्तरदायी हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में एक पृथक सतर्कता शाखा है, अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) इसके प्रमुख हैं। अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) के अधीन खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) के 31 कार्यालय हैं।

## 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भूविज्ञान विभाग में 135 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[1] थीं। इनमें से 32 इकाइयों[2] का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया, जिनमें 48,753 प्रकरणों[3] में से लेखापरीक्षा ने 16,786 प्रकरणों[4] (34.43 प्रतिशत) का चयन एवं जांच की। इनमें से 4,274 प्रकरणों में ₹683.12

---

[1] अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पैट्रोलियम, निदेशक खान एवं भूविज्ञान कार्यालय तथा निदेशक पैट्रोलियम कार्यालय के अलावा 132 अन्य इकाईयां शामिल हैं।

[2] अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पैट्रोलियम, जयपुर, निदेशक खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर, निदेशक पैट्रोलियम, जयपुर, अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) जोधपुर, अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर, अधीक्षक भूवैज्ञानिक (फॉस्फेट) उदयपुर- I, अधीक्षक भूवैज्ञानिकः बांसवाड़ा, भीलवाड़ा एवं नागौर; अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) उदयपुर, खनि अभियंता (सतर्कता) जोधपुर, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) झुंझुनू; अधीक्षण खनि अभियंता जोधपुर; खनि अभियंताः अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, मकराना, प्रतापगढ़, राजसमंद II, सिरोही, सोजत सिटी एवं उदयपुर; सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) बालेसर, सहायक खनि अभियंताः निम्बाहेड़ा, रूपवास और सवाई माधोपुर।

[3] कुल 48,753 प्रकरणः 383 खनन पट्टों की स्वीकृति; 6,947 कार्यरत खानें; 177 खनन पट्टे निरस्त/समर्पित, 112 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 10,390 खदान अनुज्ञप्ति; खनिज के अवैध खनन/ परिवहन के 13,419 प्रकरण; राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के 866 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 3,441 प्रकरण; रिफंड के तीन प्रकरण; बकाया के 1,913 प्रकरण एवं 11,102 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

[4] कुल 16,786 प्रकरणों का चयन कर जांच की गयीः 383 खनन पट्टे की स्वीकृति; 919 कार्यरत खदानें; 177 खनन पट्टे निरस्त/समर्पित, 106 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 398 खदान अनुज्ञप्ति; खनिज के अवैध खनन/परिवहन के 3,845 प्रकरण; राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के 717 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 2,257 प्रकरण; रिफंड के तीन प्रकरण; बकाया के 1,913 प्रकरण और 6,068 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

करोड़ की कमियां पायी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में भी समान त्रुटियां ध्यान में लाई गई थी परन्तु ये अनियमितताऐं बनी रही तथा अगली लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों और अन्य सम्बन्धित मुद्दों के सारभूत अनुपात ने इंगित किया कि सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि ऐसी त्रुटियों के गठित होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके। पाई गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में **तालिका 2.1** में दर्शायी गई हैं:

**तालिका 2.1: वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण**

(राशि करोड़ में)

| क्रम सं. | श्रेणी | | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | न्यूनतम किराये और रॉयल्टी की अवसूली/कम वसूली | | 542 | 255.63 |
| 2. | सुरक्षा जमा का जब्ती न होना | | 142 | 68.03 |
| 3. | जुर्माना/ब्याज न लगाया जाना | | 1,405 | 84.89 |
| 4. | अनाधिकृत उत्खनन किये गये खनिजों की लागत की वसूली न होना/कम वसूली होना | | 150 | 96.26 |
| 5. | डीएमएफटी/आरएसएमईटी/एनजीटी फंड की अवसूली/कम वसूली | | 248 | 65.43 |
| 6. | अन्य अनियमितताएं | राजस्व | 1,759 | 111.87 |
| | | व्यय | 28 | 1.01 |
| योग | | | **4,274** | **683.12** |

स्रोतः विभाग को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने 4,521 प्रकरणों में ₹ 697.58 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 683.12 करोड़ के 4,274 प्रकरण वर्ष 2022-23 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग ने 236 प्रकरणों में ₹ 21.93 करोड़ रुपये वसूले, जिनमें से 233 प्रकरणों में ₹ 21.87 करोड़ रुपये पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

सरकार ने जवाब दिया (नवंबर 2023) कि वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में बताए गए 4,274 प्रकरणों के ₹ 683.12 करोड़ में से ₹ 13.20 करोड़ का निपटान किया जा चुका है।

₹ 137.18 करोड़ की राशि के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण आगे दर्शाये गए हैं:

## 2.3 "राजस्थान में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के क्रियान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

### 2.3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) की शुरुआत की ताकि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों[5] (डीएमएफटी) द्वारा एकत्रित राशि का उपयोग करके खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। पीएमकेकेकेवाई के उद्देश्य थे (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, जो राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक हों; (ख) खनन अवधि के दौरान तथा उसके पश्चात्, खनन जिलों में पर्यावरण, जन-स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम/कम करना; और (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक सतत् आजीविका सुनिश्चित करना।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीएमएफ ट्रस्टों की गतिविधियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना था, उच्च प्राथमिकता वाली गतिविधियाँ और अन्य प्राथमिकता वाली गतिविधियाँ। उच्च प्राथमिकता वाली गतिविधियों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों का कल्याण, कौशल विकास एवं स्वच्छता शामिल है। इन मदों के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग किया जाना था और अन्य प्राथमिकता वाली गतिविधियाँ जैसे भौतिक अवसंरचना (सड़क, पुल, रेलवे एवं जलमार्ग परियोजनाएँ), सिंचाई, ऊर्जा एवं जलग्रहण क्षेत्र विकास और खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु कोई अन्य उपाय में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों का अधिकतम 40 प्रतिशत तक उपयोग किया जाना था।

राजस्थान डीएमएफटी, 2016 के नियम 13(1)(iii) के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टाधारक को आवंटित/अनुमोदित क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए/उपभोग किए गए खनिजों के संबंध में, डीएमएफटी निधि में अंशदान का भुगतान निम्नानुसार करेगा;

(क) प्रधान खनिजों के मामले में, समय-समय पर संशोधित खान और खनिज (डीएमएफटी में योगदान) नियम, 2015 में निर्धारित अनुसार; तथा

(ख) अप्रधान खनिजों के मामले में, समय-समय पर संशोधित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 की प्रथम अनुसूची के अनुसार देय अधिशुल्क का दस प्रतिशत की दर से।

[5] जैसा कि इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 2.3.2 में वर्णित है।

## 2.3.2 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की संगठनात्मक संरचना

राजस्थान सरकार द्वारा 9 जून 2016 की अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में डीएमएफटी का गठन किया गया। राजस्थान डीएमएफटी नियम 2016 के अनुसार, डीएमएफटी का प्रबंधन गवर्निंग काउंसिल[6] में निहित है, जिसमें ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी[7] सदस्य होते हैं। प्रबंध समिति[8] ट्रस्ट की गतिविधियों के दैनिक प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। जिला मजिस्ट्रेट गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। खनि अभियंता डीएमएफटी के सदस्य सचिव हैं। शासन स्तर पर, खान एवं भूविज्ञान विभाग डीएमएफटी का प्रशासनिक विभाग है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, फरवरी 2019 में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। दो करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं एसएलईसी की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही अनुमोदित की जा सकती हैं।

## 2.3.3 निधियों की प्राप्ति और उपयोग

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान (डीएमजी), डीएमएफटी की प्राप्तियों की मांग एवं संग्रहण हेतु शीर्ष निकाय है। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान के नियंत्रण में 49 खण्ड कार्यरत थे, जिनमें से प्रत्येक का प्रभार खनि अभियंता अथवा सहायक खनि अभियंता को सौंपा गया था। ।

राजस्थान राज्य 81 प्रकार के खनिज संपदा से समृद्ध हैं, जिनमें से 57 खनिजों का वाणिज्यिक दोहन किया जा रहा है। इन खनिजों में प्रधान खनिज जैसे सीसा, जस्ता, चाँदी, तांबा, वोलास्टोनाइट, बॉक्साइट, एस्बेस्टस, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट आदि तथा अप्रधान खनिजों में संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, निर्माण पत्थर, डोलोमाइट, क्वाट्र्ज, फेल्सपार, ग्रैवल, मिट्टी, बजरी आदि शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान खनिजों से प्राप्त कुल अधिशुल्क ₹23,939.76 करोड़ में से प्रधान खनिजों का योगदान ₹16,275.21 करोड़ और अप्रधान खनिजों का योगदान ₹7,664.55 करोड़ रहा।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13 के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारी डीएमएफटी में देय राशि ट्रस्ट के निजी निक्षेप खाते में जमा कराएगा, जिसकी सूचना उस अधिकारी को देगा जिसे अधिशुल्क का भुगतान करना है। खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता डीएमएफटी में अंशदान के संग्रहण, मिलान एवं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उत्तरदायी हैं।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ट्रस्टियों के पास नियमों में निर्दिष्ट शक्तियों एवं प्रावधानों के अधीन डीएमएफटी निधि का स्वामित्व होता है । प्रबंध समिति को क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने तथा डीएमएफटी निधियों को जारी और वितरण करने की शक्ति प्राप्त

---

6 गवर्निंग काउंसिलः एक निकाय जिसमें ट्रस्ट का प्रबंधन निहित होता है और जिसमें नामित ट्रस्टियों सहित सभी ट्रस्टी सदस्य होते हैं।

7 ट्रस्टीः राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 5(1) में वर्णित डीएमएफटी के सदस्य, जैसा कि इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.3.14 में चर्चा की गई है।

8 प्रबंध समितिः एक समिति जो ट्रस्ट के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करती है।

है। हालांकि, प्रबंध समिति की अनुशंसाओं को गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, गवर्निंग काउंसिल को जिले में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों को आर्थिक लाभ वितरण करने की भी शक्ति प्राप्त है।

## 2.3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या;

- राजस्थान डीएमएफटी नियमों और पीएमकेकेकेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी नियोजन एवं संस्थागत व्यवस्थाएं उपलब्ध थीं;
- डीएमएफटी के अंतर्गत प्राप्तियों के आंकलन, मांग और संग्रहण की प्रणाली विश्वसनीय और सक्षम थी;
- पीएमकेकेकेवाई के क्रियान्वयन हेतु डीएमएफटी की निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक एवं नियमों के अनुरूप किया गया;
- अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन पर्याप्त, समयोचित और दक्ष थे।

## 2.3.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंड पर आधारित हैं;

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के दिशा-निर्देश;
- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (समय-समय पर संशोधित);
- राजस्थान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016;
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017;
- खान और खनिज (डीएमएफ में अंशदान) नियम, 2015;
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, राजस्थान कोषागार नियम 1999;
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, और
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य कोई प्रासंगिक आदेश, परिपत्र, निर्देश आदि।

## 2.3.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्यप्रणाली और नमूना प्रक्रिया

राजस्थान सरकार ने सितंबर 2015 में सभी 33 ज़िलों में डीएमएफटी की स्थापना की अधिसूचना जारी की। अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए यह निष्पादन लेखापरीक्षा, जुलाई 2023 से फरवरी 2024 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा के लिए 33 जिलों में से पाँच

डीएमएफटी/ज़िलों[9] (तीन उच्च जोखिम श्रेणी, एक मध्यम जोखिम और एक निम्न जोखिम श्रेणी से) का चयन रैंडम सैंपलिंग द्वारा किया गया। चयनित ज़िलों के आठ[10] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की भी जांच की गयी। प्रत्येक चयनित डीएमएफटी/ज़िला में 25 से 45 स्वीकृत एवं पूर्ण परियोजनाओं का परीक्षण और संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु चयन किया गया। डीएमएफ ट्रस्टों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत निष्पादित कुल 223 कार्यों के अभिलेखों की जाँच की गई। नियमित लेखापरीक्षाओं के दौरान डीएमएफ ट्रस्टों में ध्यान में आई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भी इस निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया है। संग्रहण के सम्बन्ध में, 2016 में डीएमएफटी निधि की स्थापना से अब तक निधि में अंशदान की जाँच की गई।

एक परिचयात्मक परिचर्चा (07 अगस्त 2023) अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग के राजस्थान सरकार के साथ आयोजित की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को जुलाई 2024 में प्रतिवेदित किये गये और 05 सितंबर 2024 को समापन परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। प्राप्त उत्तरों को अनुच्छेदों में उचित रूप से शामिल किया गया है।

### 2.3.7 आभार

लेखापरीक्षा, चयनित डीएमएफ ट्रस्टों के साथ-साथ निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा पीएमकेकेकेवाई के सम्बन्ध में किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में है। भाग 'अ' में राज्य में पीएमकेकेकेवाई के क्रियान्वयन से संबंधित आक्षेप सम्मिलित हैं, जबकि भाग 'ब' में चयनित डीएमएफ ट्रस्टों में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित आक्षेप सम्मिलित हैं।

## भाग – अ

**राज्य में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का कार्यान्वयन**

जून 2016 में राजस्थान के सभी 33 जिलों में डीएमएफ ट्रस्टों की स्थापना की गई। इस भाग में राजस्थान राज्य में कानूनी ढांचे, योजना, लेखापरीक्षा एवं लेखांकन, डीएमएफटी अंशदान की

---

[9] उच्च जोखिमः भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और बाड़मेर; मध्यम जोखिमः भरतपुर और निम्न जोखिमः सीकर।

[10] भीलवाड़ा (खनि अभियंता भीलवाड़ा एवं खनि अभियंता बिजोलिया); भरतपुर (खनि अभियंता भरतपुर एवं सहायक खनि अभियंता रूपबास); बांसवाड़ा (खनि अभियंता बांसवाड़ा), बाड़मेर (खनि अभियंता बाड़मेर) एवं सीकर (खनि अभियंता सीकर एवं सहायक खनि अभियंता नीम का थाना)।

मांग एवं संग्रहण, खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता तंत्र आदि का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मार्च 2023 तक राजस्थान में डीएमएफटी के अंतर्गत कुल ₹7,926.86 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹6,583.13 करोड़ प्रधान खनिजों से एवं ₹1,343.73 करोड़ अप्रधान खनिजों से सम्बंधित है। 31 मार्च 2023 तक ₹5,626.63 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के साथ कुल 18,973 कार्यों को स्वीकृत किया गया, जिनमें से 12,335 कार्य पूर्ण किए जा चुके थे, 3,617 कार्य प्रगति पर थे जिन पर ₹3,505.99 करोड़ का व्यय हुआ, तथा शेष 3,021 कार्य निरस्त या परित्यक्त किये गये।

### 2.3.8 कानूनी ढाँचा

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9बी में यह उपबंधित है कि खनन संबंधित गतिविधियों से प्रभावित किसी भी जिले में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में ट्रस्ट स्थापित करेगी, जिसे जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) कहा जाएगा। डीएमएफटी का उद्देश्य खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हित और कल्याण के लिए कार्य करना होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। डीएमएफटी की संरचना और कार्य राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। बशर्ते कि केंद्र सरकार डीएमएफटी की संरचना और निधियों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

उपरोक्त के अनुपालन में, राजस्थान सरकार ने 31 मई 2016 को राज्य में राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 अधिसूचित किए। समय-समय पर इन नियमों को संशोधित किया जाता रहा है ।

राज्य सरकार ने इन नियमों में संशोधन कर (1 जुलाई 2020) राज्य खनिज निधि[11] की स्थापना की, जिसमें डीएमएफटी से राशि प्राप्त की जानी थी। भारत सरकार ने 12 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी किया कि राज्य खनिज निधि का निर्माण तथा डीएमएफटी निधियों का उसमें हस्तांतरण खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9बी के प्रावधानों का उल्लंघन है और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि डीएमएफ निधियों के उपयोग के संबंध में धारा 9 बी के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी परिस्थिति में डीएमएफ की निधियों को राज्य कोष/राज्य स्तरीय निधि/अन्य किसी निधि अथवा योजना में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा; और डीएमएफ निधि से किसी भी व्यय की स्वीकृति या अनुमोदन राज्य स्तर पर राज्य सरकार या किसी भी राज्य स्तरीय संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा।

यह भी देखा गया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने आदेश दिनांक 23 मई 2022 के द्वारा निर्देश जारी किए कि डीएमएफटी की निधियों से व्यय की स्वीकृति एवं भुगतान के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। यह भी कहा गया कि स्वीकृति/भुगतान बजट प्रस्तावों

[11] नियम 15 (7) दिनांक 01 जुलाई 2020 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया।

से संबंधित कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। उक्त आदेश भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में जारी निर्देशों के विपरीत था।

## 2.3.9 योजना निर्माण

प्रभावित क्षेत्र और लोगों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजना निर्माण आवश्यक है।

### 2.3.9.1 परिप्रेक्ष्य योजना

भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 24 जून 2022 द्वारा निर्देशित किया कि सभी प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का पूर्ण आच्छादन समयबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से करने हेतु दीर्घकालिक योजना निर्माण आवश्यक है। यह आवश्यक है कि परिप्रेक्ष्य योजनाएं इस प्रकार तैयार और क्रियान्वित की जाएं जिससे क्षेत्र और लोगों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार निम्नलिखित बिंदुओं को डीएमएफटी निधियों के उपयोग हेतु कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित नियमों में तत्काल प्रभाव से सम्मिलित करे:

- डीएमएफटी द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना के निर्माण हेतु एक आधारभूत सर्वेक्षण कराया जाएगा।
- आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से पहचानी गई कमियों और निष्कर्षों के आधार पर, डीएमएफटी पांच वर्षों की अवधि हेतु रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
- पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों पर पृथक अनुभाग होंगे।
- पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को डीएमएफटी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ट्रस्ट की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने उपरोक्त बिंदुओं को सम्मिलित करने हेतु राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 में कोई संशोधन नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 में पीएमकेकेकेवाई के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है जिसमें पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना निर्माण का प्रावधान शामिल है। तदनुसार, राजस्थान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, मार्च 2025 तक इन नियमों में संशोधन नहीं किया गया था।

### 2.3.9.2 वार्षिक कार्य योजना

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 8 (ii) के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल डीएमएफटी के लिए वार्षिक कार्ययोजना एवं वार्षिक बजट तैयार कर अनुमोदित करेगी। यह वार्षिक

कार्ययोजना प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक माह पूर्व तैयार कर अनुमोदित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डीएमएफटी की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार नहीं किए गए और परिणामस्वरूप गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित भी नहीं किए गए। अतः पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भौतिक आधारभूत संरचना आदि से संबंधित परियोजनाएँ, जिनकी कुल लागत ₹5,626.63 करोड़ थी, 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य में संबंधित ट्रस्ट निधियों से अनुमोदित कार्य योजना के अभाव में स्वीकृत की गई ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों/परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव संबंधित विभागों/एजेंसियों से समय पर प्राप्त नहीं हुए। इसलिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं की जा सकी। भविष्य में, नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

### 2.3.10 लेखा और लेखापरीक्षा

प्रबंध समिति द्वारा ट्रस्ट निधि से संबंधित अभिलेखों, दस्तावेजों एवं लेखा पुस्तकों का समुचित संधारण करेगा या उनके संधारण की व्यवस्था करेगा ताकि ट्रस्ट के कार्यकलापों की वास्तविक एवं यथार्थ स्थिति प्रदर्शित हो सके। ट्रस्ट के लेखों का लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कम से कम एक बार किया जाना आवश्यक है। वार्षिक खातों से संबंधित डेटाबेस निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग के पास उपलब्ध होना आवश्यक है।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के परीक्षण से यह पाया गया कि 17 जिलों में वर्ष 2022-23 तक के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षण पूर्ण कर लिया गया था। हालांकि, 16 जिलों[12] के वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक के 23 वार्षिक खाते फरवरी 2025 तक तैयार नहीं किए गए थे।

### 2.3.11 डीएमएफटी अंशदान की माँग एवं संग्रहण

पीएमकेकेकेवाई का सुगम क्रियान्वयन हेतु डीएमएफटी अंशदान की सतर्क एवं सुव्यवस्थित वसूली सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था। राजस्थान राज्य में, 31 मार्च 2023 तक कुल ₹7,926.86 करोड़ की डीएमएफटी अंशदान राशि प्राप्त हुई, जिसमें खनन पट्टाधारकों (जैसे खनन पट्टों, अल्पावधि अनुज्ञापत्र, ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रों) से प्राप्तियाँ, किसी भी प्रकार की अनुदान/अंशदान राशि एवं जमा पर अर्जित ब्याज शामिल हैं।

[12] चूरू (वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक), धौलपुर (वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक), बीकानेर और डूंगरपुर (वर्ष 2021- 22 से 2022-23 तक), तथा बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, पाली, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, कोटा और नागौर (वर्ष 2022-23)।

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों और आठ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[13] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा डीएमएफटी अंशदान की माँग और संग्रहण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए की गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डीएमजीओएमएस[14] की ऑनलाइन माँग पंजिका में आंकलित डीएमएफटी अंशदान का कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा से संबंधित टिप्पणियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

### *2.3.11.1 डीएमएफटी अंशदान के लिए माँग एवं संग्रहण पंजिका का संधारण न किया जाना*

खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में डीएमएफटी अंशदान की समुचित वसूली, मिलान एवं सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु एक पृथक माँग और संग्रहण पंजिका का संधारण किया जाना आवश्यक था। चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि डीएमएफटी अंशदान हेतु पृथक पंजिका न तो भौतिक रूप में और न ही ऑनलाइन मॉड्यूल में संधारित की गयी थी।

यह उल्लेखनीय है कि निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों की निगरानी के लिये एक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली, अर्थात् डीएमजीओएमएस लागू की गई थी । इसके एक मॉड्यूल को खनन प्राप्तियों जैसे अधिशुल्क, दंड, विभिन्न शुल्क, ब्याज आदि की वसूली हेतु विकसित किया गया था। यह मॉड्यूल पट्टाधारकों से देय अधिशुल्क, स्थिर भाटक, विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि की जानकारी भी प्रदर्शित करता था। हालांकि, इस मॉड्यूल को डीएमएफटी अंशदान की देय राशि, योगदानकर्ताओं[15] से संग्रहण, विलंबित भुगतान पर ब्याज, अथवा योगदानकर्ताओं के ऋण/जमा शेष दर्शाने हेतु आगे और विकसित नहीं किया गया। इस प्रकार, इन पहलुओं की निगरानी हेतु प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप डीएमएफटी अंशदान की अवसूली, विलंबित भुगतान पर ब्याज का अपारोपण) आदि की स्थिति उत्पन्न हुई, जैसा कि प्रतिवेदन के भाग-'ब' में विस्तार से विवेचित किया गया है।

### *2.3.11.2 निर्माण विभागों से प्राप्त डीएमएफटी अंशदान का सत्यापन न किया जाना*

आरएमएमसी, 2017 के नियम 51(9)(iv) के अनुसार, निर्माण विभाग जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग और वन विभाग जो सिविल निर्माण कार्यों में संलग्न हैं, साथ ही स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं एवं संबंधित संगठन, ऐसे प्रत्येक रनिंग बिल पर जहाँ ठेकेदार द्वारा अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान की कटौती के लिए विकल्प चुना गया है, वहाँ अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान की कटौती के

---

13 खनि अभियंताः भीलवाड़ा, बिजोलिया, भरतपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सीकर तथा सहायक खनि अभियंता : रूपबास और नीम का थाना।

14 डीएमजीओएमएसः राजस्थान के खान विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला डीएमजी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली नामक एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। इस प्रणाली में विभिन्न मॉड्यूल हैं, जैसे पट्टा निर्देशिका, मांग एवं संग्रहण पंजिका आदि।

15 पट्टाधारकों, अधिक अधिशुल्क संग्रहण/अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों एवं ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र धारकों आदि।

लिए उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त नियमों के अंतर्गत खनिजों के उपयोग के लिए ठेकेदार को अल्पावधि अनुज्ञापत्र (एसटीपी) जारी की जाती है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न निर्माण ठेकेदारों से वसूली गई अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान राशि निर्माण विभागों द्वारा संबंधित मदों में समेकित रूप से जमा की जा रही थी। हालांकि, कार्य-वार कटौती की गई अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान राशि न तो निर्माण विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई और न ही खनन विभाग द्वारा इसकी माँग की गई। कार्य-वार विवरण के अभाव में न तो खनन विभाग और न ही लेखापरीक्षा कटौती एवं जमा की गई राशि की शुद्धता का सत्यापन कर सके।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सीकर और बाड़मेर में कार्यान्वयन संस्थाओं को डीएमएफटी अंशदान की कटौती की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। बांसवाड़ा में डीएमएफटी अंशदान नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया। भरतपुर और भीलवाड़ा से डीएमएफटी अंशदान के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। बांसवाड़ा से संबंधित उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिशुल्क तथा संबंधित डीएमएफटी अंशदान की वसूली का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

### *2.3.11.3 डीएमएफटी निधि का मिलान*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के अनुसार, डीएमएफटी निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- सरकार या किसी अन्य एजेंसी, संस्था या व्यक्ति से प्राप्त कोई भी अनुदान, योगदान या कोई अन्य राशि;
- प्रत्येक खनन पट्टाधारक द्वारा हटाए गए और/या उसके आवंटित/अनुमोदित क्षेत्र के भीतर उपभोग किए गए खनिजों के संबंध में उनका योगदान;
- जमा पर अर्जित ब्याज और उससे प्राप्त कोई अन्य आय; तथा
- ट्रस्ट की अन्य सभी संपत्तियाँ एवं उनसे प्राप्त आय या मूल्य में वृद्धि।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13(5) के अनुसार, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता डीएमएफटी निधि में अंशदान की वसूली, मिलान और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उक्त राशि को अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए ट्रस्ट खाते में जमा करेंगे। वे, विभाग के वित्तीय सलाहकार, जो प्राप्तियों और व्यय के समुचित संधारण के लिए नोडल अधिकारी थे, को समय-समय पर सूचना प्रेषित करेंगे। नियमों में संशोधन (1 जून 2018) के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया एवं 1 जून 2018 से निधियों को ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खाते में जमा किया जाना था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि डीएमएफटी निधि का मिलान यथोचित रूप से नहीं किया गया, जैसा कि नीचे वर्णित है।

### *(क) डीएमएफटी निधि संग्रहण के आंकड़ों में अंतर*

डीएमएफटी अंशदान संग्रहण की मार्च 2023 तक की प्रतिवेदनों, जो निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय में तैयार की गई थीं, की जांच से पता चला कि राजस्थान में कुल संग्रहण ₹7,926.86 करोड़ था। हालांकि, विभिन्न खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय को प्रेषित प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार यह राशि ₹7,945.33 करोड़ थी। इस प्रकार, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय के नोडल अधिकारी और खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों में ₹18.47 करोड़ का अंतर पाया गया। चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने डीएमएफटी अंशदान के संग्रहण के आंकड़ों की जांच की एवं उनका निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय के आंकड़ों से मिलान किया। इसमें पाया गया कि भरतपुर को छोड़कर अन्य चयनित जिलों के आंकड़े मेल नहीं खाते थे। अतः यह स्पष्ट है कि डीएमएफटी अंशदान की प्राप्तियों का आँकड़ा समुचित रूप से संधारित नहीं किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आंकड़ों में अंतर संबंधित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त करने के बाद प्रदान की जाएगी। हालांकि, 5 सितंबर 2024 को आयोजित समापन परिचर्चा में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह अंतर मुख्यतः ब्याज राशि को शामिल न किए जाने के कारण था। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि शीघ्र ही विस्तृत अनुपालन प्रस्तुत की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

### *(ख) केंद्रीकृत बैंक खाते में प्राप्त राशि का पूर्ण मिलान नहीं किया जाना*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 14 के अनुसार, डीएमएफटी निधि को ट्रस्ट के नाम से अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जाएगा और खाते को अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष या प्रबंध समिति[16] द्वारा अधिकृत प्रबंध समिति के किसी सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा। प्रबंध समिति इस निधि की लेखा पुस्तिकाओं का संधारण करेगी।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि डीएमएफटी निधि संग्रहण हेतु 11 अगस्त 2016 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक केंद्रीकृत खाता खोला गया, जो उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन में था और 17 अक्टूबर 2019 तक संचालित रहा। इसके बाद संग्रहित राशि को उदयपुर कोषालय में 21 सितंबर 2016 को खोले गए केंद्रीकृत निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित किया गया। 31 मार्च 2022 तक उक्त निजी निक्षेप खाते में ₹823 करोड़ की अंशदान राशि और ₹10.70 करोड़ ब्याज के रूप में जमा था। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने अप्रैल 2022 में एक मिलान समिति का गठन किया जिससे निधियों को संबंधित डीएमएफटी को हस्तांतरित करने से पूर्व मिलान किया जा सके। 30 मार्च 2022 तक जमा ₹823 करोड़ में से समिति ने ₹792.85 करोड़ का मिलान सभी डीएमएफ ट्रस्टों से कर लिया और

---

[16] ट्रस्ट के दैनिक कार्यों के प्रबंधन हेतु गठित समिति।

₹ 817.62 करोड़ राशि सम्बंधित डीएमएफटी को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे 30 मार्च 2022 तक निजी निक्षेप खाते में ₹5.38 करोड़ शेष रहे।

इसके अतिरिक्त, तथ्यों की समीक्षा से यह भी पाया गया कि छह जिलों[17] को हस्तांतरित की गई राशि मिलान की गई राशि से ₹95.56 लाख कम थी, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.2: डीएमएफटी को मिलान की गई राशि की तुलना में कम हस्तांतरित की गई राशि का विवरण**

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | जिले का नाम | संबंधित डीएमएफटी द्वारा मिलान की गई राशि | केंद्रीय खाते से डीएमएफटी को हस्तांतरित राशि | कम हस्तांतरित की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर | 12,82,54,143 | 12,49,38,925 | 33,15,218 |
| 2 | भरतपुर | 3,47,25,755 | 3,22,24,000 | 25,01,755 |
| 3 | सवाई माधोपुर | 83,09,378 | 62,25,000 | 20,84,378 |
| 4 | बीकानेर | 7,89,01,388 | 7,74,97,208 | 14,04,180 |
| 5 | पाली | 31,56,21,227 | 31,53,72,000 | 2,49,227 |
| 6 | अजमेर | 57,39,93,134 | 57,39,92,000 | 1,134 |
| | **योग** | **1,13,98,05,025** | **1,13,02,49,133** | **95,55,892** |

यह भी पाया गया कि सहायक खनि अभियंता, हनुमानगढ़ द्वारा जमा की गई राशि का मिलान नहीं किया गया था, फिर भी केंद्रीय खाते से डीएमएफटी हनुमानगढ़ को ₹1.68 करोड़ की राशि बिना किसी आधार के हस्तांतरित की गई। अन्य 26 जिलों में, मिलान की गई राशि से ₹29.44 करोड़ अधिक राशि डीएमएफटी निधि को हस्तांतरित की गई।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राप्त निधियों का समुचित रूप से मिलान नहीं किया गया और उन्हें बिना समुचित मिलान के हस्तांतरित कर दिया गया।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि केंद्रीकृत निजी निक्षेप खाते में संग्रहित समस्त राशि डीएमएफ ट्रस्टों को हस्तांतरित कर दी गई है, अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, परंतु इस उत्तर के समर्थन में कोई प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानों के विरुद्ध केंद्रीकृत खाता खोलने के कारणों की जानकारी नहीं दी गई और न ही डीएमएफटी को अधिक/कम राशि हस्तांतरित करने के कारणों को स्पष्ट किया गया।

### *(ग) केंद्रीकृत बैंक खाते में जमा की गई राशियों का बैंक में जमा नहीं पाया जाना*

डीएमएफटी अंशदाताओ ने 17 अक्टूबर 2019 तक अपनी अंशदान राशि केंद्रीकृत बैंक खाते में जमा कराई थी। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने 7 सितंबर 2018 को सभी खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को पत्र जारी कर इस खाते की 33,629 प्रविष्टियों का मिलान करने के निर्देश

[17] जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, पाली और अजमेर।

दिये। मिलान संबंधी पत्राचार की जांच में पाया गया कि पांच[18] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों से संबंधित 160 प्रविष्टियों, जिनमें पट्टाधारकों द्वारा केन्द्रीकृत बैंक खाते में जमा की गई राशि ₹ 51.29 लाख शामिल थी, बैंक विवरणी में दर्ज नहीं थी।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान के अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि इस राशि का सत्यापन करने के लिए कोई प्रयास किया गया था। अतः बैंक खाते में प्रदर्शित जमा राशियों का मिलान नहीं हो सका।

सरकार ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि संबंधित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त होने के बाद अनुपालन प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

#### *2.3.11.4 खनिजों के अवैध खनन/परिवहन की लागत में से डीएमएफटी अंशदान राशि जमा नहीं किया जाना*

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(3) में प्रावधान है कि यदि कोई खनिज अवैध रूप से उत्खनन, निर्गमन या उपभोग किया गया हो, तो उसकी लागत वसूली जाएगी। लागत की गणना किराया, अधिशुल्क, पर्यावरणीय ह्रास की क्षतिपूर्ति तथा बिना वैध अधिकार भूमि के उपयोग पर देय कर आदि के प्रतिकर के रूप में उस खनिज की अधिशुल्क की दर से दस गुना मानी जाएगी।

लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि ना तो राज्य सरकार एवं ना ही निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरणों में वसूल की जाने वाली खनिज लागत में से डीएमएफटी अंशदान को संबंधित डीएमएफटी निधि में जमा कराने हेतु कोई निर्देश जारी किए गए थे। राजस्थान में यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के मामलों में ₹84.71 करोड़ की राशि खनिज लागत के रूप में वसूली की। इसमें ₹8.47 करोड़ अधिशुल्क और ₹84.71 लाख डीएमएफटी अंशदान के रूप में शामिल था। तथापि, यह डीएमएफटी अंशदान राशि संबंधित डीएमएफटी निधि में नियमानुसार जमा नहीं कराया गया।

सरकार ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि संबंधित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त होने के बाद अनुपालना प्रस्तुत की जायेगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

### 2.3.12 खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर प्रभाव

खनन गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव खनिजों के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। भूमि क्षरण, खनन एवं खदान गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख प्रभावों में से एक है, जो मुख्यतः उत्खनन, ऊपरी मिट्टी के भंडारण, अपशिष्ट एवं ओवरबर्डन मिट्टी के डंपिंग के कारण भूमि संरचना में परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है।

---

[18] खनि अभियंताः ब्यावर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और सहायक खनि अभियंता टोंक।

खदानों से उड़ने वाली धूल के कारण वायु प्रदूषण, खनन एवं खदान विशेषकर सतही खदानों में, एक आम पर्यावरणीय समस्या है।

(i) खनन गतिविधियों का प्रमुख प्रभाव पत्थरों के खनन क्षेत्रों में देखा गया, जहाँ खदानों में कार्यरत लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चयनित जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 4,074 व्यक्तियों की पहचान सिलिकोसिस रोगी के रूप में की गई, जिनमें से 1,075 रोगियों की मार्च 2023 तक मृत्यु हो चुकी थी। इससे, यह स्पष्ट है कि खनन गतिविधियों के कारण खनन श्रमिकों का जीवन गंभीर रूप से जोखिम में पाया गया।

**श्रेष्ठ प्रयास**

भीलवाड़ा जिले में खनन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य की जाँच हेतु मोबाइल चिकित्सा वैन का संचालन डीएमएफटी भीलवाड़ा द्वारा किया जाता है। मोबाइल वैन का मुख्य उद्देश्य सिलिकोसिस रोगियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना था। नवम्बर 2021 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान कुल 294 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 19,671 लोगों की चिकित्सकीय जांच की गई, जिनमें से 1,952 व्यक्ति सिलिकोसिस के संदिग्ध पाए गए। इनमें से 144 व्यक्तियों को सिलिकोसिस प्रमाण-पत्र जारी किए गए। डीएमएफटी भीलवाड़ा की इस पहल से सिलिकोसिस के संभावित रोगियों की पहचान करने तथा खनन श्रमिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में प्रभावी सिद्ध हुआ है।

स्रोतः मोबाइल वैन और स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान संयुक्त निरीक्षण के समय लेखापरीक्षा दल द्वारा ली गई फ़ोटो

(ii) भारत, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (यूएनएसडीजी) का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, सतत विकास लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) के अंतर्गत खनन से क्षतिग्रस्त भूमि के पुनःस्थापन हेतु बाध्य है। तथापि, डीएमएफटी की कार्यप्रणाली सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप नहीं पाई गई।

आरएमएमसीआर नियम, 2017 के नियम 29(18) के अनुसार, यदि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को यह विश्वास हो कि खान समापन योजना में निर्धारित संरक्षण, पुनःस्थापन एवं पुनर्वास के उपाय योजना के अनुसार पूर्णतया या आंशिक रूप से नहीं किए गए हैं, तो वह जमा वित्तीय आश्वासन राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को जब्त करेगा, जिसे डीएमएफ ट्रस्ट में जमा किया जावेगा। प्रधान खनिजों के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के नियम 27 में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है।

डीएमजीओएमएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल 6,300 खनन पट्टे निरस्तीकरण/समर्पण/पट्टा अवधि की समाप्ति/नवीनीकरण अस्वीकृति के कारण निष्क्रिय हैं। इन पट्टों का कुल आवंटित क्षेत्रफल 11,21,898 हेक्टेयर है। इन खनन पट्टों में कार्यरत खनन गड्ढों के पुनर्भरण से संबंधी कोई जानकारी डीएमजीओएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं पाई गई।

लेखापरीक्षा ने चयनित डीएमएफ ट्रस्टों में पाया कि खनन से उपयोग की गई भूमि के पुनःस्थापन से संबंधित कोई कार्य/परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि जिन खनन पट्टों में खनन गड्ढों को नहीं भरा गया, उन पट्टों की वित्तीय आश्वासन राशि डीएमएफटी में जमा कराना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत खनन के मामलों में सरकार द्वारा दोषियों से खनिज लागत की वसूली की गई, लेकिन खनन से क्षतिग्रस्त भूमि के पुनःस्थापन हेतु कोई कार्य नहीं किया गया।

### 2.3.13 सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का चौथा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था कितनी पर्याप्त, समयबद्ध और प्रभावी रही और क्या इसने योजना के निष्पादन में सुधार किया।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 नियम के 15(6) के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक डीएमएफटी को अद्यतन सूचना के साथ एक वेबसाइट का संधारण करना था। जिसमें डीएमएफटी की संरचना, खनन प्रभावित क्षेत्र एवं जनसंख्या का विवरण, प्राप्त त्रैमासिक अंशदान राशि आदि का विवरण शामिल हो। इसके अतिरिक्त, सभी खनन से संबंधित कार्य सूची, बैठक विवरण और कार्यान्वयन प्रतिवेदन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हों। वार्षिक योजनाएं, बजट, कार्यादेश एवं प्रतिवेदन भी उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही, चल रहे कार्यों की ऑनलाइन अद्यतन स्थिति डीएमएफटी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसकी अनुपालना में एक अनिवार्य घटक है।

### *2.3.13.1 वेबसाइट पर सूचना का अद्यतन न किया जाना*

हालाँकि एक वेबसाइट 'डीएमएफ-वेबसाइट' उपलब्ध थी, परंतु उपरोक्त वर्णित जानकारी नियमित रूप से प्रकाशित और अद्यतन नहीं की जा रही थी।

ट्रस्ट के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में भी बकाया डीएमएफटी अंशदान की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी ट्रस्ट के संबंध में डीएमएफटी अंशदान की त्रैमासिक विवरणी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि विभाग में तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण डीएमएफ पोर्टल को समय पर अद्यतन नहीं किया जा सका, परन्तु अद्यतन कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। समापन परिचर्चा (5 सितंबर 2024) में खान विभाग के सचिव ने बताया कि भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा जिलों का डीएमएफ पोर्टल अद्यतन किया गया है तथा अन्य जिलों में कार्य प्रगति पर है। हालाँकि, लेखापरीक्षा को जांच के दौरान भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा के डीएमएफ पोर्टल अद्यतित नहीं पाये गये।

### *2.3.13.2 प्रतिवेदनों का तैयार करना एवं प्रस्तुतिकरण*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 18 के अनुसार, डीएमएफटी स्वीकृत योजनाओं एवं परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 45 दिनों के अन्दर तैयार करनी होगी तत्पश्चात इसे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को अग्रेषित कर उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित कराना होगा। नियम में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक डीएमएफटी का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट डीएमएफटी द्वारा तैयार नहीं की जा रही थी। इसके साथ ही, चूंकि वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, इसलिए उन्हें विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जैसा कि नियमों में अपेक्षित था।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि डीएमएफटी के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

## निष्कर्ष

पीएमकेकेकेवाई को डीएमएफटी द्वारा संचित निधियों का उपयोग करके खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों एवं जनसंख्या के कल्याण हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान सरकार ने 9 जून 2016 को सभी जिलों में डीएमएफटी का गठन किया। राजस्थान डीएमएफटी नियमों के अनुसार, डीएमएफटी का प्रबंधन गवर्निंग काउंसिल के अधीन निहित है, जिसमें ट्रस्ट के सभी न्यासी सदस्य सम्मिलित होते हैं तथा जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। डीएमएफटी क्षेत्र से संबंधित कानूनी ढांचे, योजना, लेखा

परीक्षण व लेखा प्रणाली, डीएमएफटी अंशदान की मांग और संग्रह, खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता तंत्र का समष्टिगत विश्लेषण दर्शाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए राजस्थान सरकार ने डीएमएफ ट्रस्टों को यह निर्देश जारी किए कि डीएमएफटी निधियों से स्वीकृति और भुगतान के लिए वित्त विभाग की पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। इसके अनुसार कार्यों को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्य योजना और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गयी। डीएमएफ ट्रस्टों के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षण पूर्ण नहीं किया गया। विभागीय ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस को देय डीएमएफटी अंशदान राशि, विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि प्रदर्शित करने हेतु विकसित नहीं किया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की लागत से संबंधित डीएमएफटी राशि को नियमों के अनुसार संबंधित डीएमएफटी निधियों में जमा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा निर्माण विभागों द्वारा जमा डीएमएफटी अंशदान राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में इन जमाओं के सत्यापन हेतु कोई समुचित मिलान तंत्र उपलब्ध नहीं था। यह भी पाया गया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु खनन गतिविधियों से क्षतिग्रस्त भूमि के पुनःस्थापन हेतु कोई कार्य अथवा परियोजना नहीं ली गई। साथ ही, डीएमएफ वेबसाइट पर डीएमएफटी द्वारा आंकड़े नियमित रूप से अद्यतन नहीं किए जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा तैयार नहीं किये जा रहे थे।

## अनुशंसाएं

सरकार/विभाग यह विचार कर सकते हैंः

- ***डीएमजीओएमएस के अंतर्गत एक मॉड्यूल विकसित करना, जो देय डीएमएफटी अंशदान राशि की निगरानी कर सके, समय पर जमा सुनिश्चित करे और विलंबित भुगतान पर ब्याज लगा सके।***
- ***खनिजों की अनधिकृत/अवैध उत्खनन या परिवहन के मामलों से प्राप्त राशि को डीएमएफटी को हस्तांतरित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना।***
- ***खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने और पीएमकेकेकेवाई के तहत इन प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान हेतु एक अध्ययन कराना।***
- ***त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों और वार्षिक प्रतिवेदनों की तैयारी और प्रस्तुति हेतु मानकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करना और उनका पालन कराना। इन प्रतिवेदनों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना ताकि पारदर्शिता और निगरानी में सुधार हो।***

## भाग - ब

## चयनित डीएमएफ ट्रस्टों में पीएमकेकेकेवाई का क्रियान्वयन

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों का सूक्ष्म विश्लेषण जिसमें संस्थागत व्यवस्थाएँ, खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की पहचान, डीएमएफटी निधि का संग्रहण और उपयोग, परियोजना प्रबंधन और चयनित जिलों में निगरानी व्यवस्था शामिल है, इस भाग में प्रस्तुत किया गया है।

### 2.3.14 संस्थागत व्यवस्थाएँ

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रथम उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या राजस्थान डीएमएफटी नियमों एवं पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी योजना और संस्थागत व्यवस्थाएँ लागू थीं।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 5 में प्रावधान है कि ट्रस्टियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के सामुदायिक प्रतिनिधियों की अनुशंसा संबंधित ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों में ट्रस्टियों की नामांकन एवं नियुक्ति से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं:

#### *2.3.14.1 राज्य सरकार द्वारा ट्रस्टियों का नामांकन*

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों के अभिलेखों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि:

- भरतपुर एवं बांसवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेटों ने (29 जून 2016 से 06 जनवरी 2017 के मध्य) राज्य सरकार को 36 ट्रस्टियों के नामांकन की सिफारिश प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार ने सिफारिश के पश्चात् चार वर्ष से अधिक की देरी के बाद (जुलाई 2021 में) 30 ट्रस्टियों की नियुक्ति की।

- अन्य चयनित जिलों[19] में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के पश्चात् छह से ग्यारह माह की देरी से राज्य सरकार द्वारा ट्रस्टियों की नियुक्ति की गई।

इंगित किये जाने पर, राज्य सरकार ने (सितंबर 2024) सीकर और बाड़मेर के डीएमएफटी कार्यालयों के उत्तर का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि विलंब राज्य सरकार के स्तर पर हुआ।

---

[19] भीलवाड़ा, बाड़मेर और सीकर ।

#### 2.3.14.2 प्रावधानों का उल्लंघन कर ट्रस्टियों की नियुक्ति

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, राजस्थान डीएमएफटी, नियम 2016 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि सामुदायिक प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए ग्राम सभाओं की भागीदारी आवश्यक है। हालांकि, चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश के बिना ही जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा सामुदायिक प्रतिनिधियों के नाम ट्रस्टी के रूप में नामांकन हेतु राज्य सरकार को अनुशंसित किये गए।

इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों ने वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में विभिन्न श्रेणियों में कुल 85 व्यक्तियों के नाम ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को अनुशंसित किये। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने इन डीएमएफ ट्रस्टों में कुल 88 ट्रस्टियों की नियुक्ति कर दी, जिनमें से 30 ट्रस्टियों की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेटों[20] की सिफारिश बिना ही कर दी गई।

राज्य सरकार ने (मार्च 2024 एवं अप्रैल 2025) उत्तर देते हुए बताया कि इन ट्रस्टियों को अब 18 दिसंबर 2023 को निरस्त कर दिया गया है तथा राजस्थान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के नए नियमों की अधिसूचना के पश्चात ही ट्रस्टियों की नियुक्ति की जाएगी । यह अनुशंषा की जाती है कि सामुदायिक प्रतिनिधियों की ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति संबंधित ग्राम सभा की सिफारिश के अनुसार तथा अन्य सभी मामलों में नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के अनुसार की जाए, जैसा कि नियमों में निहित है।

### 2.3.15 प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान

दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शामिल करने हेतु, डीएमएफटी खनन संबंधित गतिविधियों से प्रत्यक्ष[21] और अप्रत्यक्ष[22] रूप से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची तैयार एवं संधारण करेगा। साथ ही, डीएमएफटी प्रभावित लोगों की भी अद्यतन सूची तैयार करेगा।

चयनित पाँच जिलों में से दो जिलों (भीलवाड़ा और भरतपुर) में यह देखा गया कि पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शामिल करने हेतु डीएमएफ ट्रस्टों ने खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की कोई पृथक पहचान नहीं की, बल्कि संपूर्ण जिले को ही खनन प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। जबकि सीकर, बांसवाड़ा एवं बाड़मेर जिलों में प्रभावित गांवों/क्षेत्रों की सूची तैयार की गई, जिसमें कुछ शहरी और गैर-खनन क्षेत्र भी बिना किसी औचित्य के सम्मिलित किए गए थे।

---

20 भरतपुर (9), भीलवाड़ा (6), बाँसवाड़ा (12), सीकर (1) और बाड़मेर (2)।

21 प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रः वे क्षेत्र जहाँ खनन संबंधित गतिविधियाँ सीधे रूप से होती हैं, जैसे कि वे गांव और ग्राम पंचायतें जिनके अंतर्गत खदानें स्थित हैं, खदान या खदानों के समूह से निर्धारित दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो), तथा वे गांव जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए खनन क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

22 अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रः वे क्षेत्र जहाँ की स्थानीय जनसंख्या खनन संबंधित गतिविधियों के कारण उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

परिणामस्वरूप, कार्य/परियोजनाएं पीएमकेकेकेवाई के उद्देश्यों के अनुरूप तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों को लक्षित किए बिना ही क्रियान्वित की गई।

राज्य सरकार ने (सितंबर 2024) सीकर और बाड़मेर के डीएमएफटी कार्यालयों का उत्तर अग्रेषित किया, जिसमें कहा गया कि अधिकांश कार्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही संपन्न हुए हैं। डीएमएफटी बांसवाड़ा ने बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों की सूची को अद्यतन किया जाएगा।

समापन परिचर्चा में शासन सचिव ने बताया कि भारत सरकार ने (जनवरी 2024) पीएमकेकेकेवाई के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें खनन प्रभावित क्षेत्रों की परिभाषा दी गई है। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर राजस्थान डीएमएफटी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

## 2.3.16 निधियों का संग्रहण

निष्पादन लेखापरीक्षा का दूसरा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या डीएमएफ ट्रस्टों के अंतर्गत मांग आंकलन और संग्रहण की प्रणाली विश्वसनीय और कुशल थी।

निधियों के संग्रहण से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जैसे कि ब्याज अर्जक खाते में राशि जमा न करना, अंशदान की वसूली न होना, ब्याज की कम वसूली, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि का अनियमित हस्तांतरण आदि, अनुवर्ती अनुच्छेदों में विवेचित किए गए हैं।

### *2.3.16.1 ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खाते में डीएमएफटी अंशदान जमा नहीं किया जाना*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 14 में जून 2018 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया था कि डीएमएफटी निधि को ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खाते में रखा जाएगा।

सभी चयनित जिलों में यह पाया गया कि डीएमएफ ट्रस्टों ने नियमों में निर्धारित अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते नहीं खोले। इसके स्थान पर, 12 अप्रैल 2017 से 09 जून 2017 के मध्य गैर-ब्याज-अर्जक निजी निक्षेप खाते खोले गये। बाद में, प्रत्येक डीएमएफटी में ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खाते भी खोले गए (28 अक्टूबर 2020 से 21 जून 2021 के बीच)। यह भी पाया गया कि डीएमएफटी अंशदान की राशि गैर-ब्याज-अर्जक पी.डी. खातों में जमा की जा रही थी तथा बाद में इन खातों से राशि ब्याज अर्जक खातों में हस्तांतरित की गई।

समापन परिचर्चा (05 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने कहा कि ब्याज हानि की जांच की जाएगी और तदनुसार उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

### *2.3.16.2 डीएमएफटी अंशदान की वसूली न किया जाना*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13(1)(iii) के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टाधारक को अपने द्वारा हटाये गये और/या उसके लिए आवंटित/अनुमत क्षेत्र में उपभोग किये

गये किसी भी खनिज[23] के संबंध में डीएमएफटी निधि में अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है।

साथ ही, उपरोक्त नियमों के नियम 13(3) में यह प्रावधान है कि अप्रधान खनिजों के मामले में ट्रस्ट निधि में अंशदान की वसूली उन ठेकेदारों के माध्यम से की जायेगी, जिन्हें उस जिले में अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका[24] प्रदान किया गया है। ऐसे मामलों में, ट्रस्ट निधि में अंशदान की मासिक किस्त सीधे ठेकेदारों द्वारा ट्रस्ट खाते में जमा की जायेगी। नियम 13(5) के अनुसार, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता डीएमएफटी निधि में अंशदान की वसूली, मिलान तथा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उत्तरदायी होंगे।

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के खनन पट्टों, ईट मिट्टी अनुज्ञापत्रों तथा अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका से संबंधित अभिलेखों की जाँच एवं नियमित लेखापरीक्षा के दौरान डीएमएफटी अंशदान राशि ₹20.80 करोड़ की वसूली नहीं होने के मामले पाये गये हैं, जिनका विवरण **तालिका 2.3** में प्रस्तुत है।

***तालिका 2.3: वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान डीएमएफटी अंशदान की अप्राप्ति का विवरण***

*(₹ करोड़ में)*

| अनुज्ञा/अनुमति/अनुबन्ध का प्रकार | प्रकरणों की संख्या | प्राप्त किया जाने वाला डीएमएफटी अंशदान | प्राप्त डीएमएफटी अंशदान | अप्राप्त डीएमएफटी अंशदान की राशि | खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| खनन पट्टे (अप्रधान खनिज) | 710 | 8.41 | 5.49 | 2.92 | भरतपुर, भीलवाड़ा, बिजोलियां, बाँसवाड़ा और सीकर |
| अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके | 17 | 11.43 | 6.09 | 5.34 | भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, नीम का थाना, नागौर, डूंगरपुर और जैसलमेर |
| खदान अनुज्ञप्तियाँ[25] (अधिशुल्क संग्रहण ठेका) | 1 | 11.65 | 0.00 | 11.65 | जोधपुर |

[23] अप्रधान खनिजों के मामले में, राजस्थान एमएमसीआर, 1986 की पहली अनुसूची के अनुसार देय अधिशुल्क की दर पर दस प्रतिशत की दर से; तथा प्रधान खनिजों के मामले में, उन खनन पट्टों के लिए जो 12 जनवरी 2015 या उसके बाद स्वीकृत किए गए हैं, देय अधिशुल्क का दस प्रतिशत; और उन खनन पट्टों के लिए जो 12 जनवरी 2015 से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, देय अधिशुल्क का तीस प्रतिशत।

[24] अधिक अधिशुल्क संग्रहण अनुबंध का अर्थ है ऐसा अनुबंध, जिसके अंतर्गत खनन पट्टाधारी द्वारा अनुबंध में निर्दिष्ट क्षेत्र से निर्गमित विशिष्ट खनिज पर सरकार की ओर से वार्षिक स्थिर भाटक एवं अनुबंध में निर्धारित किसी भी अन्य शुल्क से अधिक अधिशुल्क एकत्रित की जाती है।

[25] खदान अनुज्ञप्तियां: आरएमएमसी नियम, 2017 के तहत खनिज अनुज्ञा के लिए प्रदत्त एक अनुज्ञप्ति, जिसमें अनुज्ञप्तिधारकों को अधिशुल्क से पृथक एक निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना होता है।

| अनुज्ञा/अनुमति/ अनुबन्ध का प्रकार | प्रकरणों की संख्या | प्राप्त किया जाने वाला डीएमएफटी अंशदान | प्राप्त डीएमएफटी अंशदान | अप्राप्त डीएमएफटी अंशदान की राशि | खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र | 236 | 2.19 | 1.30 | 0.89 | भरतपुर, रूपबास, भीलवाड़ा, बिजोलियां, सीकर, नीमका थाना हनुमानगढ़ और टोंक |
| **योग** | **964** | **33.68** | **12.88** | **20.80** | |

स्रोतः खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि चयनित जिलों में ₹20.80 करोड़ की राशि प्राप्त प्राप्त नहीं हुई। अभिलेखों की आगे की जांच में पाया गया कि खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता डीएमएफटी निधि में अंशदान की निगरानी नहीं कर सके क्योंकि डीएमजीओएमएस पर संधारित मांग और संग्रहण पंजिका में केवल जमा की गई राशि ही प्रदर्शित की जा रही थी। डीएमएफटी अंशदान राशि इसमें प्रदर्शित नहीं हो रही थी। चयनित कार्यालयों में मैनुअल पंजिका/डीसीआर संधारित नहीं पाये गये। अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका के प्रकरणों में यह देखा गया कि 17 ठेके अनुबंध राशि जमा नहीं करने के कारण निरस्त कर दिये गये, अतः ₹ 5.34 करोड़ की डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली नहीं हो सकी। इस प्रकार, डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली हेतु निगरानी की प्रभावी व्यवस्था के अभाव तथा खदान अनुज्ञप्तिधारकों से अंशदान की वसूली के लिये उदासीनता के कारण ₹20.80 करोड़ की डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली नहीं हो सकी।

सरकार ने उत्तर (सितंबर 2024) में बताया कि सीकर में वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अन्य कार्यालयों के संबंध में अनुपालना शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी। समापन परिचर्चा (05 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने बताया कि बकाया राशि की ब्याज सहित वसूली की जा रही है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

खदान अनुज्ञप्तिधारकों के संबंध में डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली नहीं होने पर नीचे दिए गए प्रकरण के अध्ययन में चर्चा की गई है।

**प्रकरण अध्ययन**

खदान अनुज्ञप्तिधारकों को उनके खनन क्षेत्रों से उत्खनन किए गए खनिजों का निर्गमन बिना किसी रवन्ना/अनुमति के कर सकते है। साथ ही, खदान अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से उत्खनन एवं निर्गमित किए गए खनिजों को दर्शाने के लिए कोई प्रतिवेदन निर्धारित नहीं था। अतः इन खनिजों पर अधिशुल्क संग्रह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अधिशुल्क संग्रहण संविदाएं दी जा रही थीं।

जोधपुर[26] में, एक संविदा (मार्च 2016) में ठेकेदार को तहसील जोधपुर के खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्रों से निर्गमित सैंडस्टोन खनिज पर अधिशुल्क संग्रहण के लिए 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 की अवधि हेतु प्रदान की गई। वार्षिक संविदा राशि ₹62.93 करोड़ थी। इसके पश्चात् राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 दिनांक 31 मई 2016 को अधिसूचित किए गए। फलस्वरूप, संविदा में डीएमएफटी अंशदान को सम्मिलित करने हेतु खनि अभियंता, जोधपुर ने 15 जून 2016 को वार्षिक संविदा राशि संशोधित कर ₹69.22 करोड़ की और ठेकेदार को पूरक अनुबंध निष्पादित करने के निर्देश दिए। ठेकेदार ने पूरक अनुबंध निष्पादित नहीं किया और खनि अभियंता के आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12 जुलाई 2016 को खनि अभियंता के आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया। अतः 01 जून 2016 से 04 अप्रैल 2018 की संविदा अवधि के दौरान डीएमएफटी अंशदान राशि ठेकेदार द्वारा संग्रहित नहीं किया गया।

चूंकि ठेकेदार पर खदान अनुज्ञप्तिधारकों से अधिशुल्क के साथ डीएमएफटी अंशदान की वसूली का दायित्व स्थगनादेश की अवधि में लागू नहीं था, अतः संबंधित खनि अभियंता को डीएमएफटी अंशदान के संग्रहण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, जैसे कि विभागीय चेकपोस्ट स्थापित करना अथवा नई संविदा प्रदान करना। तथापि, ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए, जबकि डीएमएफटी अंशदान केवल खनिजों के खदान क्षेत्रों से निर्गमन के समय ही वसूल किया जा सकता था। खनिजों के निर्गमन के बाद विभाग के पास उत्खनन एवं निर्गमन संबंधी डेटा उपलब्ध नहीं था। खदान अनुज्ञप्तिधारकों के लिए रवन्ना/विवरणी प्रणाली के अभाव में यह आंकलन कर पाना संभव नहीं था कि किस अनुज्ञापत्रधारी ने कितनी मात्रा में खनिजों का निर्गमन किया।

इस प्रकार, विभाग द्वारा डीएमएफटी अंशदान वसूल नहीं किये जाने के कारण ₹11.65 करोड़[27] की राशि, जो कि 01 जून 2016 से 04 अप्रैल 2018 की अवधि के लिए वार्षिक ठेका राशि के आधार पर गणना की गई थी, डीएमएफटी निधि में प्राप्त नहीं हो सकी।

खनि अभियंता ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण डीएमएफटी अंशदान वसूल नहीं किया जा सका। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभागीय चेक पोस्ट की स्थापना द्वारा डीएमएफटी अंशदान की वसूली पर कोई स्थगन आदेश नहीं था।

समापन परिचर्चा (05 सितम्बर 2024) में शासन सचिव ने जवाब प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। मार्च 2025 तक प्रगति प्रतीक्षित थी। तथ्य यह है कि विभाग के पास खदान अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा निर्गमित खनिजों का आंकलन करने की कोई व्यवस्था न होने से ₹11.65 करोड़ की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

---

[26] यह इकाई नियमित लेखापरीक्षा का एक हिस्सा थी।

[27] 01.06.2016 से 04.04.2018 की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा जमा की गई अधिशुल्क ₹116.47 करोड़ का 10 प्रतिशत होता है।

### 2.3.16.3 ब्याज की वसूली न करना/कम वसूली करना

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13ए के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नियम 13(1) में विनिर्दिष्ट डीएमएफटी अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे प्रधान खनिजों एवं अप्रधान खनिजों के मामलों में देरी से भुगतान पर क्रमशः खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2016 के तहत प्रति वर्ष 24 प्रतिशत तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के तहत प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा।

चयनित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच तथा नियमित लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता द्वारा अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका/खनन पट्टों द्वारा डीएमएफटी अंशदान राशि ₹ 137.53 करोड़ देरी से जमा कराये जाने पर या तो ब्याज की वसूली नहीं की गई या कम की गई, जिससे कुल ₹42.13 करोड़ की ब्याज राशि अवसूलनीय रही, जिसका विवरण **तालिका 2.4** में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.4: डीएमएफटी अंशदान देरी से जमा राशि पर ब्याज की वसूली नहीं करने/कम वसूली करने का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका/खनन पट्टे | संख्या | देरी से जमा राशि | देरी दिनों में | वसूलनीय ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका | 16[28] | 30.37 | 01 से 1003 दिन | 2.27 |
| 2. | खनन पट्टे (प्रधान खनन पट्टे) | 7[29] | 107.16 | 03 से 2160 दिन | 39.86 |
| | **योग** | **23** | **137.53** | | **42.13** |

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि खनि अभियंता, जोधपुर के अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका के दो प्रकरणों में ₹38.00 लाख की ब्याज राशि वसूल की जा चुकी है। अन्य मामलों के संबंध में यह उत्तर दिया गया कि प्रकरणों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मांग पंजिका के संधारण नहीं किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

---

[28] अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका (16): खनि अभियंता भीलवाड़ा (8), खनि अभियंता बिजोलियां (2), खनि अभियंता भरतपुर (1), खनि अभियंता जैसलमेर (1), खनि अभियंता जोधपुर (2), खनि अभियंता डूंगरपुर (1) और खनि अभियंता नीमका थाना (1)

[29] खनन पट्टे (7): खनि अभियंता चित्तौडगढ (2), खनि अभियंता सोजत सिटी (2), खनि अभियंता अजमेर (1)और खनि अभियंता उदयपुर (2)

### 2.3.17 डीएमएफटी निधि में वित्तीय आश्वासन की राशि

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 29 (18) के अनुसार, जब संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता को यह उचित आधार प्रतीत होता है कि खान समापन योजना में वर्णित सुरक्षात्मक, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन उपायों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लागू नहीं किया गया है, तो वह वित्तीय आश्वासन[30] की राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को जब्त कर सकता है तथा संबंधित राशि डीएमएफटी में जमा की जाएगी।

चयनित जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 92 खनन पट्टों[31] और 17 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के मामलों में विभाग द्वारा ₹75.59 लाख की वित्तीय आश्वासन राशि जब्त की जानी थी। परंतु 85 खनन पट्टे और 17 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के मामलों में ₹ 71.14 लाख ही जब्त किये क्योंकि पांच खनन पट्टों में पट्टाधारकों द्वारा वित्तीय आश्वासन राशि जमा नहीं की गई थी और दो प्रकरणों में वित्तीय आश्वासन राशि भारतीय खान ब्यूरो के पास जमा थी। जब्त की गयी ₹71.14 लाख में से सात प्रकरणों से सम्बंधित ₹6.25 लाख की राशि खनि अभियंता भीलवाड़ा द्वारा डीएमएफटी निधि में जमा करवाई गई। शेष प्रकरणों से सम्बंधित ₹64.89 लाख की वित्तीय आश्वासन राशि जब्त कर लेने के बाद भी शेष डीएमएफटी निधि में जमा नहीं करवाई गई। फलस्वरूप, डीएमएफटी को ₹64.89 लाख की प्राप्ति से वंचित होना पड़ा।

सरकार ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि वित्तीय आश्वासन राशि को डीएमएफटी निधि में जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

### 2.3.18 डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा निधि का उपयोग

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का तीसरा लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या डीएमएफटी से पीएमएकेकेकेवाई के क्रियान्वयन हेतु निधियों का उपयोग प्रभावी रूप से और नियमों के अनुसार किया गया। योजना के क्रियान्वयन में परिकल्पित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निधियों का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में 31 मार्च 2023 की तक कुल 18,973 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 12,335 कार्य पूर्ण किये गये तथा 3,617 कार्य प्रगतिरत थे। चयनित जिलों में 4,273 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 2,862 कार्य पूर्ण हुये एवं 718 कार्य उक्त अवधि के दौरान प्रगति पर थे। विवरण ***परिशिष्ट-3*** में दिया गया है।

---

[30] वित्तीय आश्वासनः वित्तीय आश्वासन से तात्पर्य खनन पट्टा या खनन अनुज्ञाधारक, जो भी लागू हो, द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई उस जमानत से है, जो खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के समापन के बाद पुनर्वास एवं पुनःस्थापन की लागत के विरुद्ध प्राधिकरणों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए दी जाती है।

[31] खनि अभियंता भीलवाड़ा (70), खनि अभियंता भरतपुर (14), खनि अभियंता सीकर (8) और खनि अभियंता बाड़मेर (17 एसटीपी)।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, चयनित जिलों में डीएमएफटी के तहत कुल ₹ 2,833.11 करोड़ का अंशदान का संग्रहण था। यह महत्वपूर्ण राशि इस बात को रेखांकित करती है कि खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों के हित में संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी वित्तीय पर्यवेक्षण के साथ उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। चयनित डीएमएफटी में प्राप्त अंशदान **तालिका 2.5** में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.5: चयनित जिलों में प्राप्त डीएमएफटी अंशदान राशि का विवरण**

| क्र.सं. | डीएमएफटी का नाम | प्राप्त डीएमएफटी अंशदान (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1. | भरतपुर | 58.20 |
| 2. | भीलवाड़ा | 2,514.54 |
| 3. | बाँसवाड़ा | 43.50 |
| 4. | सीकर | 39.38 |
| 5. | बाड़मेर | 177.49 |
| | **योग** | **2,833.11** |

स्रोतः निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर द्वारा प्रदान की गई सूचना |

लेखापरीक्षा ने डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा निधि के कुशल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु इन डीएमएफटी अभिलेखों की जाँच की और पाया कि:

- ***राज्य खनिज निधि का अनियमित गठन***

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 15(3)(II)(ए) में प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियाँ, यथासंभव, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक स्वरूप में होनी चाहिए। डीएमएफटी द्वारा की गयी विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियों को राज्य योजना के लिये अतिरिक्त बजटीय संसाधन माना जाना चाहिए।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया कि राज्य खनिज निधि के लिए एक निजी निक्षेप खाता (3 दिसंबर 2020) खोला गया था जिसमें 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2023 के दौरान विभिन्न डीएमएफटी द्वारा ₹ 1,200.63 करोड़ हस्तांतरित किये गये। भारत सरकार के आदेश (12 जुलाई 2021), जिसमें डीएमएफटी से कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं करने के निर्देश दिए गए थे, के बावजूद, ₹ 45.93 करोड़ की राशि विभिन्न डीएमएफटी से राज्य खनिज निधि खाते में हस्तांतरित की गई। हालांकि, 07 जुलाई 2022 के बाद डीएमएफटी द्वारा राज्य खनिज निधि में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की गई।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियमों में राज्य खनिज निधि की स्थापना के लिए किया गया प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर राज्य खनिज निधि से विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं में धनराशि का हस्तांतरण भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था। उदाहरणस्वरुप एक मामले पर आगे चर्चा की गई है:

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में एक कल्याणकारी योजना "इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना" (आईजीएमपीवाई) प्रारंभ की थी, जो प्रारंभ में पाँच[32] जिलों में लागू की गई तथा बाद में 2022-23 में पूरे राज्य में विस्तारित की गई। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 से 2022-23[33] के दौरान आईजीएमपीवाई के नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग को डीएमएफटी निधि से ₹ 161.33 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। यह धनराशि राज्य सरकार के निर्देश पर हस्तांतरित की गई थी। अतः ₹ 161.33 करोड़ की डीएमएफटी निधि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा बजटीय योजना पर किया गया, जो उपरोक्त प्रावधानों के प्रतिकूल था।

सरकार ने (सितंबर 2024) में कहा कि निधियों का स्थानांतरण राज्य सरकार के आदेश/निर्देशों के अनुसार किया गया था। समापन परिचर्चा (05 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

## 2.3.19 कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए अग्रिमों की निगरानी

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 12(viii) में प्रावधान है कि प्रबंध समिति ट्रस्ट की निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी करेगी। उक्त नियमों के नियम 18(4) में प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर ट्रस्ट द्वारा तैयार की जायेगी।

डीएमएफटी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि डीएमएफटी द्वारा अनुमोदित कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, चयनित डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और उनके अभिलेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत सड़कों, कक्षाओं, अस्पताल भवनों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, जलापूर्ति आदि से संबंधित कार्यों/परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 67.67 करोड़ की अग्रिम राशि दी गई थी। यह अग्रिम राशि 31 मार्च 2023 तक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के पास समायोजन के लिये लंबित थी, जैसा कि **तालिका 2.6** में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.6: कार्यान्वयन एजेंसियों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि का विवरण**

| डीएमएफटी का नाम | 31 मार्च 2023 की स्थिति में अग्रिम राशि (₹ करोड़ में) | टिप्पणी, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| भीलवाड़ा | 45.79 | 31 मार्च 2022 तक दिये गये अग्रिम |
| बांसवाड़ा | 1.25 | वर्ष 2021-22 में दिये गये अग्रिम |
| बाड़मेर | 20.63 | 31 मार्च 2022 तक दिये गये अग्रिम |
| **कुल** | **67.67** | |

स्रोतः जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों से संकलित सूचना।

[32] बारां, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर।

[33] ₹ 161.33 करोड़ः वर्ष 20-21: ₹19.65 करोड़ (राज्य खनिज निधि से भारत सरकार के निर्देशों से पूर्व); वर्ष 2021-22: ₹41.88 करोड़ (राज्य खनिज निधि से भारत सरकार के निर्देशों से पूर्व) और वर्ष 2022-23:₹99.80 करोड़।

निगरानी तंत्र के अभाव में, कार्यों पर निधियों का समुचित उपयोग समय पर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि बाड़मेर में कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

समापन परिचर्चा (05 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने कहा कि निधियों के उपयोग को ज़िला कलेक्टरों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

### 2.3.20 गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन के बिना कार्यो की स्वीकृति

चयनित ज़िलों के लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि डीएमएफटी भीलवाड़ा को छोड़कर, शेष चार डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा संबंधित गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹27.20 करोड़ की 52 परियोजनाओं[34] को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति के अभाव में यह कार्य अनियमित थे।

इस प्रकार की कार्यप्रणाली, स्थापित संस्थागत व्यवस्थाओं के महत्व और प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है, जिससे निगरानी और जवाबदेही प्रभावित होती है।

सीकर जिले के एक मामले में, प्रबंध समिति ने 31 मई 2023 को विद्यालयों में 175 सूचना एवं संचार तकनीकी (आईसीटी) लैब स्थापित करने हेतु ₹1.33 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। तथापि, गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। इसके बावजूद, पूर्ण राशि कार्यान्वयन एजेंसी (अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, सीकर) को हस्तांतरित कर दी गई। जुलाई 2023 में, वित्तीय स्वीकृति को संशोधित कर ₹14.39 लाख कर दिया गया, जिससे केवल 19 आईसीटी लैब खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में स्थापित की जानी थीं, क्योंकि एक ट्रस्टी ने शेष 156 विद्यालयों को राशि आवंटित करने का विरोध किया था, क्योंकि वे खनन प्रभावित क्षेत्र में स्थित नहीं थे। परिणामस्वरूप, ₹ 1.18 करोड़ की राशि कार्यान्वयन एजेंसी के पास शेष रह गई।

सरकार ने (सितंबर 2024) को स्वीकार किया कि कार्यों को गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था और उन्हें स्वीकृत कराया जायेगा।

### 2.3.21 ग्राम सभाओं की स्वीकृति के बिना गवर्निंग काउंसिल द्वारा कार्यो की स्वीकृति

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 15(4) में प्रावधान है कि (क) पीएमकेकेकेवाई तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लिये जाने वाले सभी

[34] भरतपुर (27), बाँसवाड़ा (1), सीकर (1) और बाड़मेर (23)

योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिये, (ख) अनुसूचित क्षेत्रों[35] में स्थित खनन प्रभावित ग्रामों के संबंध में सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान हेतु, ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम में ट्रस्ट के अंतर्गत किये गये कार्यों का प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ग्राम सभा को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएमएफटी बांसवाड़ा द्वारा 31 मार्च 2023 तक कुल 139 कार्य किये गये, जिनमें से 114 कार्य पूर्ण हो चुके थे और 25 कार्य प्रगतिरत थे। अनुमानित लागत ₹26.63 करोड़ के विरुद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹21.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं:

(i) डीएमएफटी बांसवाड़ा की गवर्निंग काउंसिल ने (07 सितंबर 2021) वन विभाग को दो निर्माण कार्यों (वन रक्षक चौकी का निर्माण- ₹10 लाख एवं वॉच टावर का निर्माण- ₹6 लाख) की लागत ₹16 लाख की स्वीकृति प्रदान की। दिसंबर 2021 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई तथा राशि ₹8 लाख की वन विभाग को हस्तांतरित की गई। अप्रैल 2022 में ये दोनों निर्माण कार्य निरस्त कर दिये गये।

तत्पश्चात इन कार्यों के स्थान पर, माही बांध के किनारे "चाचाकोटा में वन रक्षक चौकी का निर्माण" नामक एक नये कार्य को गवर्निंग काउंसिल द्वारा (अप्रैल 2022) अनुमोदित किया गया। जून 2022 में ₹30.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई और ₹15.29 लाख (दिसंबर 2021 में हस्तांतरित ₹8 लाख सहित) की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। जांच में पाया गया कि ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। इसके अलावा, वन रक्षक चौकी के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹30.59 लाख कर दी गई।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि वन क्षेत्र में पहाड़ी की चोटी पर 'अतिथि गृह' का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

---

[35] अनुसूचित क्षेत्र: अनुसूचित क्षेत्रों में निधि के उपयोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 244 के साथ पढ़े गये अनुसूची V और अनुसूची VI में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों, "पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996" तथा "अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगी।

स्रोतः संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान समीक्षा दल द्वारा वन चौकी के नाम से अतिथि गृह के निर्माण की वास्तविक साइट की तस्वीर ली गई।

इस प्रकार, वन चौकी के नाम पर गेस्ट हाउस के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड को अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया।

(ii) बांसवाड़ा (अनुसूचित क्षेत्र) में यह देखा गया कि "खनन प्रभावित क्षेत्र में 44 आंगनवाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में विकास" कार्य ₹ 3.48 करोड़ की लागत से दिनांक 5 जुलाई 2018 को गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 26 अगस्त 2018 को जारी की गई, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया। दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन किया गया, जिसमें कार्यकारी एजेंसी को महिला एवं बाल विकास विभाग में परिवर्तित किया गया और स्वीकृति में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि संबंधित ग्राम सभाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। किन्तु, संबंधित ग्राम सभाओं की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को ₹ 3.49 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। इसके पश्चात डीएमएफटी द्वारा जिला परिषद बांसवाड़ा को ₹ 1.74 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी गई। तत्पश्चात, यह कार्य दिनांक 20 दिसंबर 2019 को गवर्निंग काउंसिल द्वारा बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया गया और और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को डीएमएफटी खाते में शेष राशि जमा कराने के निर्देश दिए। जिला परिषद ने दिनांक 20 मई 2020 को सूचित किया कि ₹ 1.62 करोड़ की राशि डीएमएफटी के खाते में जमा करा दी गई है और शेष राशि ₹ 12.54 लाख विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और विज्ञापन पर व्यय की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित ग्राम सभाओं के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से निधि का हस्तांतरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.54 लाख अपव्यय हुआ।

## 2.3.22 गवर्निंग काउंसिल में समुचित जांच के बिना कार्यो की स्वीकृति

बाड़मेर में यह पाया गया कि 29 कार्य (15 शिक्षा विभाग से संबंधित एवं 14 पीएचईडी से संबंधित) जिनकी लागत ₹1.61 करोड़ थी, अक्टूबर 2016 से सितंबर 2018 के मध्य गवर्निंग

काउंसिल द्वारा अनुमोदित किये गये। इन 29 कार्यों हेतु ₹1.61 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां दिसंबर 2017 से सितंबर 2021 के बीच जारी की गई। तदनुसार, ₹91.50 लाख शिक्षा विभाग से संबंधित 15 कार्यों हेतु कार्यकारी एजेंसियों[36] को तथा ₹25.12 लाख पीएचईडी को हस्तांतरित किये गये। ये कार्य (5 अप्रैल 2021 को) भूमि की अनुपलब्धता, अन्य योजनाओं से निधि प्राप्त हो जाने, भूमि विवाद आदि कारणों से निरस्त कर दिये गये। परन्तु डीएमएफटी द्वारा कार्यकारी एजेंसी को हस्तांतरित की गई राशि वापस प्राप्त नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ये कार्य गवर्निंग काउंसिल द्वारा प्रस्तावों की समुचित जांच के बिना अनुमोदित किये गये थे।

समापन परिचर्चा (5 सितंबर 2024) में, डीएमएफटी बाड़मेर के सदस्य सचिव ने बताया कि उपर्युक्त कार्यों हेतु दी गई राशि अधिकांश मामलों में संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के अन्य कार्यों में समायोजित कर दी गई है। हालांकि, विस्तृत उत्तर बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

### 2.3.23 ग्राम सभाओं को कार्यो का प्रगति प्रतिवेदन अग्रेषित न करना

नियम 15(4)(ii) के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन प्रभावित गांवों में ट्रस्ट द्वारा किये गये कार्यों का प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

चयनित पांच जिलों में से बांसवाड़ा जिला एक अनुसूचित क्षेत्र है। यह पाया गया कि डीएमएफटी बांसवाड़ा द्वारा मार्च 2023 तक कुल 139 कार्य किए गए, किंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद डीएमएफटी बांसवाड़ा द्वारा ग्राम सभाओं को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसी व्यवस्था के अभाव में, लक्षित लाभार्थी परियोजनाओं की निगरानी नहीं कर सके और उससे लाभान्वित नहीं हो सके। उपरोक्त के मद्देनजर, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाये गये प्रावधान अप्रभावी रहे।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि भविष्य में कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से ग्राम सभाओं को प्रेषित की जायेगी।

### 2.3.24 परियोजना प्रबन्धन

चयनित जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान कुल 223 कार्यों को विस्तृत नमूना जांच के लिए चुना गया। इनमें से 204 कार्य पूर्ण हो चुके थे, 16 कार्य प्रगति पर थे, दो कार्य परित्यक्त किये गये और एक कार्य निरस्त कर दिया गया। डीएमएफटी द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को कुल ₹225.89 करोड़ जारी किये गये। मार्च 2024 तक कार्यकारी एजेंसियों द्वारा ₹206.84 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका था।

---

[36] जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं:

### *2.3.24.1 आरटीपीपी अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर कार्यो का क्रियान्वयन*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 15(5) में प्रावधान है कि वस्तु और सेवाओं का उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार की जानी चाहिये। कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित कार्यकारी एजेंसी के लेखा नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

आरटीपीपी अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अनुसार, उपापन इकाई की यह जिम्मेदारी होगी कि (क) कार्यक्षमता, अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करे; (ख) निविदाकारों के साथ निष्पक्ष और समतुल्य व्यवहार करे; (ग) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे; और (घ) भ्रष्टाचार रोकने हेतु तंत्र स्थापित करे।

चयनित डीएमएफटी और कार्यकारी एजेंसियों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वस्तु की खरीद और परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) भीलवाड़ा में 'राजकीय अस्पतालों में नवजात शिशुओं को बेबी किट वितरण' के एक कार्य को गवर्निंग काउंसिल की बैठक 16 सितंबर 2017 में अनुमोदित किया गया। 44,000 बेबी किट की खरीद और वितरण हेतु ₹39.16 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (13 सितंबर 2019) जारी की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा ने निविदा आमंत्रित किये बिना और किट में आवश्यक वस्तुओं का विवरण दिए बिना ही क्रय आदेश (₹38.81 लाख) जारी कर दिया (16 जनवरी 2020)। आपूर्तिकर्ता फर्म ने जनवरी 2020 में चार खेपों में 44,000 किटों की आपूर्ति की और डीएमएफटी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को राशि ₹38.81 लाख का भुगतान (5 मार्च 2020) किया गया।

प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना किटों की खरीद राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन करते हुये व्यय को नियमित किया गया। इस प्रकार, कार्य/परियोजना का क्रियान्वयन नियमों के अनुरूप नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹38.81 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

(ii) बाड़मेर में 24 जनवरी 2018 को आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में "लीलाधोरा में शहरी वृक्षारोपण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य" नामक कार्य को स्वीकृति दी गई, जिसकी कुल लागत ₹50 लाख थी। उप वन संरक्षक बाड़मेर को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया। प्रशासनिक स्वीकृति 27 मार्च 2018 को तथा वित्तीय स्वीकृति 7 अगस्त 2018 को जारी की गई। ट्रस्ट द्वारा

कार्यकारी एजेंसी को ₹37.50 लाख की पहली किश्त 16 अक्टूबर 2018 को हस्तांतरित कर दी गई।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यकारी एजेंसी ने प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री/सेवाएं प्राप्त कर कार्य निष्पादित किया। परिणामस्वरूप, ₹37.50 लाख की संपूर्ण राशि अनियमित रूप से व्यय की गई। इसके बावजूद ट्रस्ट ने ट्रस्ट फण्ड के उपयोग की प्रभावी निगरानी नहीं की और कार्यकारी एजेंसी ने आरटीपीपी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया।

समापन परिचर्चा (5 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने बताया कि इन मामलों को कार्यकारी एजेंसियों के समक्ष उठाया जाएगा एवं विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

### *2.3.24.2 बजट कार्यों के लिये डीएमएफटी निधियों का विचलन*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 15(3)(II)(ए) में प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत की जाने वाली विकासात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियाँ यथासंभव राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित चालू योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक स्वरूप की होनी चाहिए। हालाँकि, ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली विकासात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियों को राज्य योजना के लिये अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में माना जायेगा।

चयनित जिलों में यह पाया गया कि महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बजट में ₹57.05 करोड़ की लागत के दस कार्यों/परियोजनाओं[37] को सम्मिलित किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के अतिरिक्त सचिव ने (जनवरी 2021) सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे इन विभागों द्वारा पहले से अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने हेतु डीएमएफटी की स्वीकृति प्राप्त करें। यह देखा गया कि बांसवाड़ा, बाड़मेर और सीकर में तीन कार्यों/परियोजनाओं को छोड़कर, संबंधित गवर्निंग काउंसिल ने भी इसे मंजूरी दे दी। इन मामलों को स्पष्ट करने के लिए एक प्रकरण-अध्ययन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

**प्रकरण–अध्ययन**

बाड़मेर में 'अन्य जिला सड़क 35 हरसानी-जालीपा सड़क (कि.मी. 22/00 से 37/00 एवं 42/00 से 51/00 तक) को सुदृढ करने एवं नवीनीकरण' कार्य को पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत लिया गया।

जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य को राज्य सरकार के वर्ष 2020-21 के बजट में शामिल किया गया था। इस कार्य के लिए ₹ 3.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (08

[37] दस कार्यः महिला एवं बाल विकास विभाग (3); शिक्षा विभाग (2); सार्वजनिक निर्माण विभाग (5)।

अक्टूबर 2020) को अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई। तकनीकी स्वीकृति भी 08 अक्टूबर 2020 को जारी की गई। परन्तु, अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने (नवम्बर 2020) निर्देश दिये कि राज्य बजट 2020-21 में स्वीकृत कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई व्यय नहीं किया जाये क्योंकि डीएमएफटी से बजट स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

उपरोक्त के आलोक में, राज्य स्तरीय सशक्त समिति[38] ने अपनी बैठक (12 जनवरी 2021) में इस कार्य को स्वीकृति प्रदान की और डीएमएफटी बाड़मेर को निर्देशित किया कि इसे गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित कराया जाये। तदनुसार, डीएमएफटी की गवर्निंग काउंसिल ने अपनी बैठक (05 अप्रैल 2021) में इस कार्य को स्वीकृत किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर ₹ 1.94 करोड़ की लागत से एक ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने और कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 28 मार्च 2021 और 27 नवम्बर 2021 के साथ कार्यादेश जारी किया गया (18 मार्च 2021)।

इसके बाद, डीएमएफटी बाड़मेर द्वारा ₹ 3.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2021) को जारी की गई। सड़क निर्माण (कि.मी. 22/00 से 37/00 और 37/00 से 41/00 तक) के लिये तकनीकी स्वीकृति संशोधित (13 सितम्बर 2021) की गई । कार्य निर्धारित तिथि अर्थात 27 नवम्बर 2021 को पूर्ण कर लिया गया। डीएमएफटी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल ₹ 2.43 करोड़ (जिसमें ₹ 28 लाख की प्रोरेटा राशि सम्मिलित है) हस्तांतरित की गई। इस प्रकार, ₹ 2.43 करोड़ की डीएमएफटी निधि का विचलन कर बजटीय कार्य हेतु उपयोग किया गया।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2024) कि उत्तर शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

इस प्रकार, डीएमएफटी निधियों का उपयोग बजटगत कार्यों/परियोजनाओं के लिये किया गया, जो कि वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत के विपरीत था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि बांसवाड़ा और सीकर में कार्य बजट में स्वीकृति के बाद ही संपादित किये गये।

### *2.3.24.3 डीएमएफटी द्वारा अतिरिक्त राशि का हस्तांतरण*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार, प्रबंध समिति कोः

- ट्रस्ट के हितों की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

---

[38] राजस्थान राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो दो करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाले किसी भी कार्य/परियोजना को स्वीकृति प्रदान करती है।

- ट्रस्ट निधि का संचालन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और ट्रस्ट निधियों की उपयोगिता की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नियमों के नियम 15(5) के अनुसार कार्य का निष्पादन संबंधित कार्यकारी एजेंसी के लेखा नियमों अथवा राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी विशेष नियम के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

### *(क) कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त राशि जारी करना*

(i) बांसवाड़ा के तीन प्रकरणों और भीलवाड़ा के एक प्रकरण में डीएमएफटी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2.34 करोड़ की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई, जैसा कि **तालिका 2.7** में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.7: कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई अतिरिक्त राशि का विवरण**

**(₹करोड़ में)**

| कार्य का नाम एवं कार्यान्वयन एजेंसी | वित्तीय स्वीकृति की राशि | निष्पादित कार्य की राशि | हस्तांतरित राशि | अतिरिक्त राशि |
|---|---|---|---|---|
| **बांसवाड़ा** | | | | |
| एनएच 927ए से धारकोन माता मंदिर वाकानाडा तक बीटी सड़क का निर्माण (सानिवि, खंड गढ़ी) | 0.70 | 1.03 | 1.17 | 0.14 |
| बांसवाड़ा में ठोस अपशिष्ट का निपटान (नगर परिषद् बांसवाडा) | 3.80 | 2.11 | 3.80 | 1.69 |
| देवका ए/आर पर सबमर्सिबल पुल निर्माण, (सानिवि, खण्ड बांसवाडा) | 4.00 | 3.15 | 3.28 | 0.13 |
| **भीलवाड़ा** | | | | |
| कोटड़ी में ओएचएसआर निर्माण (पीएचईडी, खण्ड शाहपुरा) | 0.79 | 0.41 | 0.79 | 0.38 |
| **योग** | | | | **2.34** |

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि डीएमएफटी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2.34 करोड़ की अतिरिक्त राशि बिना उचित सतर्कता बरते हस्तांतरित की गई। यहां तक कि एक प्रकरण में, वित्तीय स्वीकृति से अधिक राशि का हस्तांतरण किया गया। यह उल्लेखनीय है कि यह अतिरिक्त राशि कार्यान्वयन एजेंसियों से वापस प्राप्त नहीं की गई।

इस प्रकार, निधियों का प्रबंधन, अतिरिक्त राशि के हस्तांतरण को रोकने और वितरित की गई अतिरिक्त राशि की वसूली करने में प्रभावी नहीं रहा।

समापन परिचर्चा (5 सितम्बर 2024) में, सदस्य सचिव, डीएमएफटी बांसवाड़ा ने बताया कि दो प्रकरणों में ₹1.82 करोड़ की संपूर्ण राशि वापस प्राप्त कर ली गई है। एक प्रकरण में व्यय को नियमित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति संशोधित की जायेगी। भीलवाड़ा के प्रकरण में बताया गया कि राशि की वसूली के लिए कार्यान्वयन एजेंसी से संपर्क किया जाएगा या संभव हुआ तो यह

राशि कार्यान्वयन एजेंसी के अन्य कार्यों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निधियों का हस्तांतरण यथोचित रूप से नहीं किया जा रहा था।

(ii) कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार, निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर होने वाले किसी भी अतिरिक्त भुगतान का वहन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जायेगा। साथ ही, अनुबंध की शर्त संख्या 3सी में यह प्रावधान है कि कार्य को पूर्ण करने में व्यय होने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली दोषी ठेकेदार से की जाएगी और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन या अनुपालन न होने की स्थिति में ठेकेदार फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

भरतपुर में, यह ध्यान में आया कि "भरतपुर से सोंख तक सड़क निर्माण" कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार 'ए' को ₹11.48 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया (30 अप्रैल 2021)। कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की तिथियां क्रमशः 10 मई 2021 एवं 09 अगस्त 2022 निर्धारित की गई। ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया, इसलिये अधिशासी अभियंता, डीग ने फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और अनुबंध की शर्त 3सी को लागू करने की अनुशंसा की (05 जनवरी 2022)। विभाग ने ₹1.01 करोड़ मूल्य के कार्य निष्पादन के पश्चात यह कार्य वापस ले लिया (16 अगस्त 2022)। इस कार्य के लिए ठेकेदार को ₹1.21 करोड़ का भुगतान किया गया। कार्य की वापसी के पश्चात भी ठेकेदार को ₹11.45 लाख का भुगतान किया गया (नवंबर 2022)। शेष कार्य को ठेकेदार 'बी' को ₹14.76 करोड़ की लागत से सौंपा गया। डीएमएफटी ने अगस्त 2023 तक कार्यान्वयन एजेंसी को ₹14.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित की।

इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसी ने अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर ठेकेदार 'ए' पर ₹21.46 लाख का जुर्माना लगाया, जिसे चालू बिलों से काटकर '0059' लेखा शीर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 'विविध प्राप्तियां' के रूप में जमा कर दिया गया, जबकि यह राशि डीएमएफटी निधि में जमा की जानी चाहिये थी। इन तथ्यों की जांच में प्रकट हुआ कि:

अनुबंध की शर्त संख्या 3 सी के अनुसार, कार्य पर होने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली दोषी ठेकेदार से की जानी थी। शर्त के अनुसार ₹11.48 करोड़ की राशि ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डीग को हस्तांतरित की जानी थी, जबकि डीएमएफटी ने ₹14.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी। इस प्रकार ₹2.92 करोड़ की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई।

इसके अतिरिक्त, दोषी ठेकेदार 'ए' को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसे ₹1.01 करोड़ के कार्य के विरुद्ध ₹1.21 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार ₹20.45 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया।

इस प्रकार डीएमएफटी भरतपुर द्वारा अपनी निधियों के उपयोग की समुचित निगरानी नहीं की गई।

समापन परिचर्चा में शासन सचिव ने बताया कि इस मामले में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

## 2.3.25 चयनित जिला खनिज फाउंडेशनों द्वारा निगरानी एवं मूल्यांकन

निष्पादन लेखापरीक्षा का चौथा लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी था।

निगरानी एवं मूल्यांकन, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन और विश्लेषण के माध्यम से, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यान्वयन की प्रगति और प्रभावशीलता के संबंध में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना की मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना तथा उन क्षेत्रों को चिन्हित करना है जिनमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि सुसूचित निर्णय एवं रणनीतिक योजना के माध्यम से योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई हैः

### *2.3.25.1 प्रबंध समिति की बैठकें*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 11 में प्रावधान है कि प्रबंध समिति की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, और इसे प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा निश्चय किये अनुसार बुलाया जाएगा।

चयनित जिलों में यह पाया गया कि किसी भी जिले में प्रबंध समिति की बैठकें नियमों के अनुसार नियमित रूप से नहीं हुई। जून 2016 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान इन जिलों में कुल 205 बैठकें आयोजित की जानी थीं, लेकिन केवल 66 बैठकें[39] ही आयोजित की गईं।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि वर्ष 2020-22 में कोविड-19 और वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान राज्य में चुनावों के कारण कम बैठकें हुई। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भरतपुर (2016-17 और 2022-23), भीलवाड़ा (2016-17 और 2021-22), बाड़मेर (2019-20 और 2022-23) और सीकर (2022-23) में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

### *2.3.25.2 गवर्निंग काउंसिल की बैठकें*

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 9(1) के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल की बैठकें आवश्यकतानुसार, लेकिन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जावेगी। चयनित जिलों में यह पाया गया कि गवर्निंग काउंसिल की बैठकें नियमों के अनुसार आयोजित

[39] भरतपुर (8/41), भीलवाड़ा (13/41), बाड़मेर (10/41), बांसवाड़ा (17/41) और सीकर (18/41)।

नहीं की गई। जून 2016 से मार्च 2023 की अवधि में इन जिलों में कुल 135 बैठकें आयोजित की जानी थीं, किंतु केवल 35 बैठकें[40] ही आयोजित हुई। बाड़मेर जिले में अप्रैल 2021 के बाद गवर्निंग काउंसिल की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई । इसके बावजूद गवर्निंग काउंसिल की अंतिम बैठक के बाद गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति के बिना ही विभिन्न कार्यों के लिए ₹13.22 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई।

डीएमएफटी ने (अगस्त 2023 से फरवरी 2024 के बीच) उत्तर दिया कि राज्य में वर्ष 2018, 2019 और 2020 में चुनावों तथा वर्ष 2020-22 में कोविड-19 के कारण कम बैठकें आयोजित हुई। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सीकर में (2019-20, 2020-21 और 2022-23 में), बाड़मेर में (2019-20, 2020-21 और 2022-23 में), भीलवाड़ा में 2019-20 में तथा भरतपुर में 2020-21 में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। यह परिकल्पित प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के अभाव को दर्शाता है। आगे सरकार ने उत्तर दिया कि अगली बैठक में गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

### 2.3.26 आयकर विवरणी दाखिल करना एवं छूट

आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (46) में उल्लिखित किसी ट्रस्ट या आयोग (जिसे किसी भी नाम से पुकारा गया हो) को आयकर अधिनियम की धारा 139(4सी) के अंतर्गत आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक होता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अनुसार, वह निर्दिष्ट आय, जो किसी ट्रस्ट या आयोग को प्राप्त होती है और जिसे केंद्र या राज्य अधिनियम के अंतर्गत या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सामान्य जनहित में किसी गतिविधि के विनियमन या प्रशासन के उद्देश्य से स्थापित या गठित किया गया है, वह कर से छूट योग्य होती है, बशर्ते कि वह संस्था किसी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न न हो। धारा 10(46) के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने के लिए संस्था को केंद्र सरकार द्वारा 'व्यक्तियों के वर्ग' के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों के अभिलेखों की जांच में उपरोक्त प्रावधानों की निम्नलिखित पालना नहीं किया जाना प्रकट हुआः

• चयनित पाँच डीएमएफ ट्रस्टों में से, डीएमएफटी भरतपुर द्वारा स्थापना के बाद से अब तक आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गयी, जबकि ट्रस्ट को जनवरी 2021 में आयकर विभाग द्वारा स्थायी खाता संख्या (पीएएन) जारी कर दी गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 29 नवम्बर 2019 को देशभर के डीएमएफ ट्रस्टों से विवरण मांगा था ताकि उन्हें आयकर अधिनियम के तहत 'व्यक्तियों के वर्ग' के रूप में अधिसूचित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने भी 17 जनवरी 2020 एवं 5 अप्रैल 2020 को आवश्यक जानकारी सीबीडीटी को प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। तथापि, डीएमएफटी भरतपुर द्वारा सीबीडीटी को वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

[40] भरतपुर (8/27), भीलवाड़ा (9/27), बाड़मेर (4/27), बांसवाड़ा (8/27) और सीकर (6/27)।

फलस्वरूप, इसे 'व्यक्तियों के वर्ग' के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया और यह कर छूट के लिए पात्र नहीं है। यह भी पाया गया कि डीएमएफटी भरतपुर के वर्ष 2021-22 से वार्षिक लेखे अंतिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं।

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 सितंबर 2021 को भरतपुर को छोड़कर शेष सभी डीएमएफ ट्रस्टों को आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत 'व्यक्तियों के वर्ग' के रूप में अधिसूचित किया। यह अधिसूचना कुछ शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, जिनमें यह शामिल है कि प्रत्येक डीएमएफटी को आयकर विवरणी के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए प्रभावी मानी जायेगी।

- लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सभी चार[41] डीएमएफ ट्रस्टों (जो अधिसूचित 'व्यक्तियों के वर्ग' हैं) द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अब तक आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गयी। भीलवाड़ा के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा वर्ष 2018-19 तक तथा अन्य तीन जिलों का 2021-22 तक किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के लेखों में ₹1,596.02 करोड़ की आय व्यय से अधिक दिखाई गई, जिस पर ₹478.81 करोड़[42] की अनुमानित आयकर देयता बनती है।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आयकर विभाग से छूट देने का अनुरोध किया गया है। समापन परिचर्चा (5 सितंबर 2024) में शासन सचिव, खान विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया और बताया कि सभी डीएमएफ ट्रस्टों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

## निष्कर्ष

चयनित जिलों में संस्थागत व्यवस्थाओं, खनन सम्बन्धी कार्यों से प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों की पहचान, डीएमएफटी निधि की संग्रहण एवं उपयोगिता, परियोजना प्रबंधन तथा निगरानी के सूक्ष्म विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन की योजना कमजोर रही, क्योंकि खनन प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं का क्रियान्वयन गैर-खनन प्रभावित क्षेत्रों में किया गया। नियमों के अनुसार डीएमएफटी अंशदान को ब्याज-अर्जक निजी निक्षेप खातों में जमा नहीं किया गया। डीएमएफटी अंशदान की ₹20.80 करोड़ राशि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि डीएमएफटी अंशदान की वसूली की निगरानी हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत राज्य स्तरीय एजेंसियों को निधि हस्तांतरित की गई। कार्यान्वयन एजेंसियों ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के उल्लंघन करते हुए कार्य निष्पादित किये। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹57.05 करोड़ की डीएमएफटी निधि राज्य बजट में सम्मिलित 10 कार्यों/परियोजनाओं हेतु हस्तांतरित की गई। डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को

[41] भीलवाड़ा, बाड़मेर, बांसवाडा और सीकर।

[42] लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई।

अतिरिक्त निधियां हस्तांतरित की गई। डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गई, अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत कर छूट उपलब्ध नहीं थी। डीएमएफटी में ट्रस्टियों की नियुक्ति समय पर नहीं की गई। गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंध समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं। कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम भुगतान के उपरांत उसकी निगरानी नहीं की गई। डीएमएफटी अंशदान की देरी से जमा पर संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा ब्याज नहीं लगाया गया। निरस्त किये गये खनन पट्टों एवं अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन विभाग द्वारा जब्त किया गया, परंतु वह डीएमएफटी निधि में जमा नहीं किया गया क्योंकि केवल जब्ती आदेश जारी किये गये, परंतु उनकी राशि का नकदीकरण नहीं किया गया।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डीएमएफ ट्रस्टों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, ताकि पीएमकेकेकेवाई के तहत लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सके।

**अनुशंसाएं**

सरकार/विभाग यह विचार कर सकते हैं:

- ***डीएमएफ ट्रस्टों को यह निर्देश दिए जाएं कि वे विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान करें ताकि निधि का लाभ वास्तव में प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को दिया जा सके।***
- ***राज्य बजट की योजनाओं हेतु विचलित की गई निधियों को वापस लिया जाए।***
- ***अनियमित स्वीकृतियों को रोकने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों को एक चेक लिस्ट प्रसारित की जाए।***
- ***प्रबंधन समिति के लिए अधिक कड़े उत्तरदायित्व तंत्र स्थापित किए जाएँ, ताकि वार्षिक लेखों एवं कर विवरणियों के अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु समुचित एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।***
- ***ग्राम सभाओं और गवर्निंग काउंसिल की सिफारिशों के अनुसार ट्रस्टियों की समय पर नियुक्ति की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए।***
- ***गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंध समितियों की नियमित बैठकों की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए, ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यप्रणाली तथा लक्षित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त लाभ की समीक्षा की जा सके।***

**खान एवं भूविज्ञान विभाग की नियमित लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अन्य अनियमितताएं**

## 2.4 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में अनियमितताएं

अल्पावधि अनुज्ञापत्र का आशय ऐसे अनुज्ञापत्र से है जो किसी निर्दिष्ट क्षेत्र से, निर्दिष्ट अवधि[43] के भीतर, निर्दिष्ट मात्रा में खनिज का उत्खनन एवं निष्कासन हेतु शासन, अर्ध-शासकीय संस्था, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था या शासन द्वारा सहायता प्राप्त अथवा वित्तपोषित संगठनों के कार्य निष्पादन के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (आरएमएमसी) नियम, 2017 के नियम 51 में प्रावधान है कि किसी ठेकेदार को चिनाई पत्थर, मुर्रम एवं साधारण मिट्टी आदि के उत्खनन और उपयोग के लिए कार्य निष्पादन हेतु अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकता है। तीन खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने और आंकलन के संबंध में पाई गई अनियमितताओं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

### 2.4.1 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का अनुचित आंकलन

*अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का आंकलन यथोचित रूप से नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 9.31 करोड़ की कम वसूली हुई*

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 51(10) के अनुसार, राष्ट्रीय या मेगा हाईवे, चार या छः लेन वाली सड़कों के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, रेलवे पटरियों के बिछाने और मरम्मत के लिए, ठेकेदार उप-नियम (3)[44] के अनुसार आवेदन करेंगे तथा उप-नियम (9) के (ii)[45] के अनुसार अधिशुल्क एवं अन्य भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, नियम 51(11) के अनुसार, जहां ठेकेदार ने खनिज का उत्खनन और निर्गमन या उपभोग निम्नानुसार तय सीमा तक किया है:

- अनुज्ञापत्र में निर्दिष्ट मात्रा से दस प्रतिशत तक अधिक पर केवल एक बारीय अधिशुल्क वसूल किया जाएगा;

---

[43] आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 51(7) के अनुसार अल्पावधि अनुज्ञापत्र की अवधि कार्यादेश की अवधि के साथ सह-समाप्त होगी, जब तक कि उससे कम अवधि के लिए आवेदन न किया गया हो।

[44] अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें खनिजों की मात्रा और अवधि का उल्लेख होगा, जिसके लिए अनुज्ञापत्र चाहिए, साथ ही निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न होंगे।

[45] अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करते समय मात्रा बिल या जी शेड्यूल, अनुज्ञापत्र फीस, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में अंशदान और अधिशुल्क राशि का विवरण देना होगा। ठेकेदार को निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करना होगा, साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से बकाया राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

- दस प्रतिशत से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत तक की मात्रा होने पर, अनुज्ञापत्र में निर्दिष्ट अनुमत मात्रा से अधिक पूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का दोगुना वसूल किया जाएगा; तथा

- अनुज्ञापत्र में वर्णित मात्रा से पच्चीस प्रतिशत से अधिक कोई भी मात्रा होने पर, अनुमत मात्रा से अधिक सम्पूर्ण मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा तथा पट्टाधारक को ऐसे अतिरिक्त खनिज की कीमत का भुगतान करना होगा, जिसकी गणना प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क का दस गुना के रूप में की जाएगी।

अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए खनि अभियंता, कोटा के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया (सितंबर 2022) कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, कोटा, ने ठेकेदार को "ईपीसी[46] मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के कोटा-दराह खंड पर किमी 256/550 से 289/500 तक सीसी फुटपाथ के साथ पक्के आधार के साथ चार लेन के चौड़ीकरण" के कार्य के लिए कार्य आदेश (16 सितंबर 2016) जारी किया। ठेकेदार द्वारा अग्रिम अधिशुल्क एवं डीएमएफटी राशि के भुगतान के बाद साधारण मिट्टी के 21.42 लाख मीट्रिक टन खनिज उत्खनन हेतु 26 अल्पावधि अनुज्ञापत्र और चिनाई पत्थर/ग्रिट/जीसीबी/क्रेशर रेत के 13.26 लाख मीट्रिक टन खनिज उत्खनन के आठ अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किये गए।

कार्य पूर्ण होने पर, अधिशासी अभियंता कोटा ने खनि अभियंता कोटा को सूचित किया (जुलाई 2020) कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त खनिजों की मात्रा क्रमशः साधारण मिट्टी 17.03 लाख मीट्रिक टन, एग्रीगेट 13.49 लाख मीट्रिक टन तथा स्टोन डस्ट/क्रशर डस्ट 3.35 लाख मीट्रिक टन थी। अधिशासी अभियंता कोटा ने ठेकेदार का पत्र दिनांक 19 मार्च 2020, जिसमें खनिज उपभोग का विवरण दिया गया था, संलग्न किया। खनि अभियंता कोटा ने ठेकेदार को अनुमत मात्रा से अधिक खनिज उपयोग करने के लिए नियम 51 एवं 54 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसम्बर 2020) तथा ठेकेदार से खनिज की कीमत अर्थात खनिज के अधिक उपयोग के लिए अधिशुल्क का 10 गुना राशि वसूल न किए जाने के कारण बताने हेतु निर्देशित किया गया। ठेकेदार ने सूचित किया कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र में अनुमत मात्रा से 3.58 लाख मीट्रिक टन अधिक खनिज चिनाई पत्थर/ग्रिट/जीएसबी/क्रेशर डस्ट का उपयोग किया तथा यह दर्शाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए कि अतिरिक्त मात्रा में प्रयुक्त खनिज उसने अन्य स्रोतों से अधिशुल्क का भुगतान करने के बाद खरीदे थे। इस प्रकार, खनि अभियंता कोटा ने इन अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के आंकलन को अंतिम रूप दिया तथा ₹ 91.14 लाख की मांग (अप्रैल 2021) की गई। ठेकेदार ने मांग राशि जमा (20 अप्रैल 2021) कर दी और खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2021 को अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था ।

अभिलेखों की जांच से पता चलता है कि:

(i) अधिशासी अभियंता, कोटा द्वारा खनिज अभियंता, कोटा को साधारण मिट्टी खनिज की गलत मात्रा (17,03,379 मीट्रिक टन) त्रुटिवश सूचित की गयी। ठेकेदार के पत्र के अनुसार,

46 ईपीसीः इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण। अनुबंध का ईपीसी मोड ठेकेदार को डिजाइन और निर्माण की पूरी जिम्मेदारी देता है और इसलिए इसमें दोष दायित्व अवधि सह रखरखाव अवधि अधिक होती है।

कार्य में 17,03,379 घन मीटर (यानी 23,84,731 मीट्रिक टन) साधारण मिट्टी खनिज का उपयोग किया गया था। अधिशासी अभियंता, कोटा ने खनि अभियंता, कोटा को सूचित करते समय त्रुटिवश गलत इकाई (घन मीटर के स्थान पर मीट्रिक टन) का उपयोग किया। इस प्रकार 6,81,352 मीट्रिक टन (23,84,731 - 17,03,379) साधारण मिट्टी खनिज के उपयोग की कम सूचना विभाग को दी गई।

(ii) ठेकेदार ने अनुमत मात्रा से 27 प्रतिशत अधिक चिनाई पत्थर/ग्रिट/जीएसबी/क्रेशर डस्ट का उपयोग किया। यद्यपि, अल्पावधि अनुज्ञापत्र के आंकलन को अंतिम रूप देते समय, खनि अभियंता कोटा ने नियम 51(11) के प्रावधानों की अवहेलना की जिसमें प्रावधान है कि यदि उपयोग किया गया खनिज 25 प्रतिशत से अधिक था, तो अनुज्ञापत्र में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक पूर्ण मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा और ठेकेदार को ऐसे अतिरिक्त खनिज की लागत का भुगतान करना होगा, जिसकी गणना प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क के दस गुना के रूप में की जाएगी।

उपरोक्त कारणों से खनि अभियंता कोटा ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र का आंकलन गलत किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.31 करोड़ की कम वसूली हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट-4*** में दर्शाया गया है।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग कोटा को साधारण मिट्टी खनिज मात्रा के अधिक उपयोग की वसूली राशि जमा सुरक्षा राशि से काटने के लिए कई पत्र लिखे गए हैं। साथ ही, एग्रीगेटस/चिनाई पत्थर/जीएसबी/ग्रिट/क्रेशर डस्ट खनिजों के संबंध में यह उत्तर दिया गया कि अन्य ठेकेदारों से खनिज खरीद कर अतिरिक्त मात्रा पर अधिशुल्क का भुगतान किया गया था, इसलिए, नियमानुसार एकमुश्त अधिशुल्क और अन्य राशि वसूल की गई थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नियम 51(11) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि अनुमत मात्रा से अधिक उपयोग की गई खनिज पर 10 गुना अधिशुल्क लगाया जाना चाहिए। नियम स्व-व्याख्यात्मक है और इसे ठेकेदार की प्रक्रियात्मक भूल मानने और एकमुश्त अधिशुल्क लगाने/वसूल करने के लिए विवेकाधीन निर्णयों की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही उपयोग की गई खनिज पर अधिशुल्क का भुगतान किया गया हो।

### 2.4.2 अनियमित रूप से अल्पावधि अनुज्ञापत्रों को जारी करना

*खनि अभियंता, उदयपुर ने एक ठेकेदार को अनुज्ञापत्र शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (आरएसएमईटी) में अंशदान और अधिशुल्क का अग्रिम भुगतान कुल राशि ₹ 57.35 लाख प्राप्त किए बिना दो अल्पावधि अनुज्ञापत्र अनियमित रूप से जारी किए तथा जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान हुआ।*

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 51(10) के अनुसार, राष्ट्रीय या मेगा हाईवे, चार या छः लेन वाली सड़कों के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, रेलवे पटरियों के बिछाने और मरम्मत

के लिए, ठेकेदार उप-नियम (3)[47] के अनुसार आवेदन करेंगे तथा नियम 51(9)(ii) के अनुसार अधिशुल्क एवं अन्य भुगतान किया जाएगा।

नियम 51(9)(ii) के अनुसार, ठेकेदार मात्रा के बिल या अनुसूची-जी, अनुज्ञापत्र शुल्क, डीएमएफटी और आरएसएमईटी निधि अंशदान और अधिशुल्क राशि के साथ अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन करेगा। ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र के साथ निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने  होगें और संबंधित खनि अभियंता से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

खनि अभियंता, उदयपुर कार्यालय के अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक ठेकेदार को दो अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किए गए (जून 2021 और अगस्त 2021 के बीच)। खनि अभियंता ने उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञापत्र शुल्क, डीएमएफटी अंशदान, आरएसएमईटी अंशदान और अधिशुल्क राशि का अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र अनियमित रूप से जारी किए। इन अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए अग्रिम रूप से प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹ 57.35 लाख थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-5*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इस प्रकार, नियमों का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप अल्पावधि अनुज्ञापत्र अनियमित रूप से जारी हुए, जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ तथा ₹ 57.35 लाख की राजस्व राशि की प्राप्ति नहीं हो सकी।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि संबंधित कार्य एजेंसी को उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं साथ ही ठेकेदार को उपभोग किए गए खनिज एवं जमा की गई अधिशुल्क की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

### 2.4.3 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के जारी होने से पहले खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन/उपयोग

*सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना 62,153.21 मीट्रिक टन साधारण मिट्टी और मुर्रम खनिज का अनाधिकृत रूप से उत्खनन/उपयोग किया तथा विभाग ने खनिज लागत ₹ 35.29 लाख रुपये की वसूली नहीं की।*

आरएमएमसी नियम 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदत्त या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधियां नहीं करेगा और खानों से खनिज का निर्गमन विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा। नियम 54(2) में निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, कोई व्यक्ति किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही खनिजों का परिवहन या संग्रहण

[47] अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें खनिजों की मात्रा और अवधि का उल्लेख होगा, जिसके लिए अनुज्ञापत्र चाहिए, साथ ही निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न होंगे।

करने का कारण बनेगा। इसके अलावा, नियम 54(3) के अनुसार, खान एवं भूविज्ञान विभाग को अधिशुल्क राशि के 10 गुना के समतुल्य खनिज की लागत वसूल कर ऐसे प्रकरणों को निपटाने का प्राधिकार दिया गया है।

सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा कार्यालय के अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक ठेकेदार ने एक कार्य[48] के लिए 17,300 मीट्रिक टन साधारण मिट्टी खनिज के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया (23 अप्रैल 2019)। तथापि, ठेकेदार ने निर्धारित अधिशुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवायी इसलिए अनुमति प्रदान नहीं दी गई। उक्त कार्य की प्रारंभ तिथि 10 सितंबर 2018 तथा पूर्णता तिथि 09 मार्च 2021 थी। आवेदन में ठेकेदार ने उल्लेख किया कि इस कार्य के लिए 73,299.45 मीट्रिक टन साधारण मिट्टी और 9,337.24 मीट्रिक टन मुर्रम खनिज का उपयोग किया जाएगा। अभिलेखों की हार्ड कॉपी प्राप्त होने के बाद, विभाग ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया।

माप-पुस्तिका की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि ठेकेदार ने आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना साधारण मिट्टी और मुर्रम खनिजों का उपयोग किया। यह पाया गया कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी (29 अक्टूबर 2020) होने से पहले इस कार्य के लिए 40,847.80 घन मीटर (57,186.92 मीट्रिक टन) साधारण मिट्टी और 3,547.35 घन मीटर (4,966.29 मीट्रिक टन) मुर्रम का उपयोग किया गया था। अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी होने से पहले उपयोग किए गए खनिजों की लागत **तालिका 2.8** में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.8: अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी होने से पहले कार्य में प्रयुक्त खनिज की लागत**

| खनिज का नाम | प्रयुक्त खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन) | अधिशुल्क की दर (₹) | खनिज की लागत (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| साधारण मिट्टी | 57,186.92[49] | 4 | 22.87 |
| मौरम | 4966.29[50] | 25 | 12.42 |
| **योग** | **62,153.21** | | **35.29** |

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि ठेकेदार ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने से पहले 62,153.21 मीट्रिक टन खनिजों का उपयोग किया था। संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनिजों के अनाधिकृत उपयोग के कारण, खनिजों के उपयोग की लागत वसूली योग्य ₹35.29 लाख थी।

48 "भदेसर चौराहा-घटियावली-गिलुंडा-शंभूपुरा-सावा-नाहरगढ़ सड़क (एमडीआर-209) किमी 0/0 से 22/0 तथा 25/200 से 28/00 एवं 29/150 से 36/0 और 36/250 से 39/00 (34.40 किमी) जिला चित्तौड़गढ़ का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाकरण कार्य संख्या 40/5054/एसएम एवं आर/जीएन/एससी/एसटी/2018-19" ठेकेदार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड चित्तौड़गढ़ के पक्ष में कार्य आदेश संख्या 1356 दिनांक 31.08.2018 द्वारा आवंटित किया गया।

49 साधारण मिट्टी: 40,847.80 (घन मीटर) x (रूपांतरण कारक)1.4

50 मौरम: 3,547.35 (घन मीटर) x (रूपांतरण कारक)1.4

सरकार ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ को अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व उपयोग किए गए खनिज की मात्रा की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

## 2.5 खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधियाँ नहीं करेगा और खानों से खनिज का निर्गमन विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा।

छः अधीक्षण खनि अभियंता/खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पट्टाधारकों ने या तो संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया था या आवश्यक संचालन सहमति (सीटीओ) के बिना। इन पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 2.5.1 संचालन सहमति (सीटीओ) प्राप्त किए बिना या संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन

*चार खनि अभियंताओं ने खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन के लिए ₹ 20.45 करोड़ की राशि वसूल नहीं की, जबकि पट्टेधारकों ने या तो आवश्यक संचालन सहमति (सीटीओ) के बिना या संचालन सहमति (सीटीओ) में निर्दिष्ट अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन किया*

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 34(1) में प्रावधान है कि खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु लागू कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृतियां, अनुमतियां, अनापत्तियां, सहमतियाँ आदि प्राप्त किए बिना किसी भी खनन पट्टे या खदान अनुज्ञादि का अनुदान नहीं किया जाएगा।

इन नियमों के नियम 28(2)(iv)(बी) के अनुसार, खनन पट्टाधारक सभी खनिजों का उत्पादन खान योजना की सीमा के भीतर या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा के अधिन रखेगा। इसके साथ निम्न प्रावधान दिए गए हैं:

- यदि खनन पट्टाधारक खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमति से दस प्रतिशत अधिक खनिज की उत्खनन किया है, तो केवल एकबारीय अधिशुल्क ही वसूली की जाएगी और
- दस प्रतिशत से अधिक लेकिन पच्चीस प्रतिशत मात्रा तक उत्खनन किया तो, खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक पूरी मात्रा पर रॉयल्टी का दो गुणा वसूल किया जाएगा और

- पच्चीस प्रतिशत् से अधिक कोई भी मात्रा होने पर, खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक पूरी मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा और खनन पट्टाधारक ऐसे अतिरिक्त खनिज की कीमत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करने की शक्तियां को प्रभावित किए बिना प्रचलित दर पर देय रॉयल्टी का दस गुणा के रूप में की जाएगी।

इसके अलावा, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अनुसार, पट्टाधारक को पट्टे से खनिजों के उत्खनन से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन सहमति (सीटीओ) प्राप्त करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डंप डेटा (9 नवंबर 2022) का विश्लेषण किया। आंकड़ो के विश्लेषण से पता चला कि खनन पट्टों ने या तो सीटीओ के बिना या सीटीओ सहमति में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया था, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### *2.5.1.1 सीटीओ की समाप्ति के बाद भी खनिज का उत्खनन*

दो[51] खनि अभियन्ताओं के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2022 से दिसंबर 2022) के दौरान, यह पाया गया कि दो पट्टेधारकों ने सीटीओ की समाप्ति के बाद भी 1.31 लाख मीट्रिक टन खनिज सोपस्टोन और रेड ऑकर का उत्खनन किया था, जैसा कि **तालिका 2.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

**तालिका 2.9: सीटीओ की समाप्ति के बाद उत्खनित खनिजों का विवरण।**

| क्र. संख्या | खनि अभियंता कार्यालय का नाम एवं लेखापरीक्षा अवधि | खनन पट्टा संख्या एवं खनिज | सीटीओ की स्वीकृत अवधि | सीटीओ के बिना खनिजों के उत्खनन एवं निर्गमन की अवधि | सीटीओ के बिना उत्खनित खनिजों की मात्रा (मीट्रिक टन में) | नियम 28(2)(iv)(b) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | खनि अभियंता उदयपुर (2021-22) | बी3/1996 सोपस्टोन | 01.11.2014 से 10.04.2017 | 01.04.2019 से 31.03.2022 | 99,947.89 | 14.65 |
| 2. | खनि अभियंता प्रतापगढ़ (2018-22) | 6ए/2001 रेड ऑकर | 01.06.2016 से 31.05.2019 | 01.06.2019 से 31.03.2020 | 31,400 | 1.00 |
| | **योग** | | | | **1,31,347.89** | **15.65**[52] |

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों से संकलित।

---

[51] खनि अभियंता उदयपुर एवं प्रतापगढ़

[52] नियम 28(2)(iv)(बी) के अंतर्गत वसूली योग्य राशिः 1. खनि अभियंता उदयपुरः{(27,339.32 मीट्रिक टन*100 अधिशुल्क की दर +729.07 मीट्रिक टन*350+318.44 मीट्रिक टन*75 अधिशुल्क की दर +4,154.5 मीट्रिक टन*450 अधिशुल्क की दर +26,866.46 मीट्रिक टन*100 अधिशुल्क की दर +3,400.11 मीट्रिक टन*450 अधिशुल्क की दर +31,885.88 मीट्रिक टन*100 अधिशुल्क की दर +5,254.11 मीट्रिक टन*450 अधिशुल्क की दर)*10 गुना} 2. खनि अभियंता प्रतापगढ़ः (31,400 मीट्रिक टन*32 अधिशुल्क की दर *10 गुना)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है, दो पट्टेधारकों ने संचालन सहमति (सीटीओ) की समाप्ति के पश्चात् 1.31 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन किया था। इस प्रकार, इन पट्टेधारकों को अनाधिकृत उत्खनन किए गए खनिजों की कीमत ₹ 15.65 करोड़ चुकाने थे। तथापि, संबंधित खनि अभियन्ताओं ने खनिजों की कीमत वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के उपधारा (7) के अनुसार, यदि किसी आवेदन पर चार माह की अवधि के भीतर सहमति दी या अस्वीकार नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह सहमति, बिना किसी शर्त के स्वीकृत कर दी गई है, बशर्ते आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण हो और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया गया हो। चूंकि पट्टाधारक ने संचालन सहमति (सीटीओ) के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन किया था और उसकी स्वीकृति लंबित थी, इसलिए इन मामलों में कोई अनियमितता नहीं रही।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ने इन आवेदनों को अपूर्ण जानकारी के कारण रद्द (फरवरी 2023 और अगस्त 2021) कर दिया था, जैसे कि पर्यावरण स्वीकृति का अभाव, वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना का न होना, और प्रमाणीकरण प्राप्त उत्पादन आँकड़ों का अभाव। अतः विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत डीम्ड सहमति को गलत तरीके से माना और खनिजों के उत्खनन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

### *2.5.1.2 संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन*

दो[53] खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चार पट्टेधारकों ने 0.76 लाख मीट्रिक टन खनिजों, अर्थात् चिनाई पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट का उत्खनन किया, जो कि संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक था, जैसा कि **तालिका 2.10** में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.10: संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक उत्खनित खनिजों का विवरण**

| क्रं. संख्या | खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के नाम तथा लेखापरीक्षा अवधि | खनिज पट्टा संख्या एवं खनिज का नाम | सीटीओ में अनुमत मात्रा (मीट्रिक टन में) | उत्खनन की अवधि | उत्खनित खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में) | सीटीओ की तुलना में अधिक मात्रा में खनिज उत्खनित (मीट्रिक टन में) | सीटीओ से अधिक मात्रा में उत्खनित खनिजों का प्रतिशत | नियम 28(2)(iv)(b) के अंतर्गत वसूल योग्य राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | खनि अभियंता राजसमन्द-II (2021-22) | 1220/1991 मार्बल | 40,169 | अगस्त 2017 से जुलाई 2018 | 47,170 | 7,001 | 17.42 | 0.37 |
| 2. | खनि अभियंता राजसमन्द-II (2021-22) | 43/2002 चिनाई पत्थर | 53,946 | अक्टूबर 2016 से मई 2019 | 1,06,559.54 | 52,613.54 | 97.53 | 1.44 |

53 खनि अभियंता राजसमंद-II (24.11.22 - 9.12.22) एवं सोजत सिटी (9.11.22 - 23.11.22)

| क्रं. संख्या | खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के नाम तथा लेखापरीक्षा अवधि | खनिज पट्टा संख्या एवं खनिज का नाम | सीटीओ में अनुमत मात्रा (मीट्रिक टन में) | उत्खनन की अवधि | उत्खनित खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में) | सीटीओ की तुलना में अधिक मात्रा में खनिज उत्खनित (मीट्रिक टन में) | सीटीओ से अधिक मात्रा में उत्खनित खनिजों का प्रतिशत | नियम 28(2)(iv)(b) के अंतर्गत वसूल योग्य राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | खनि अभियंता राजसमन्द-II (2021-22) | 216/1993 मार्बल | 10,056 | मई 2019 से अप्रैल 2020 | 13,863 | 3,807 | 37.85 | 1.01 |
| 4. | खनि अभियंता सोजत सिटी (2021-22) | 9/2014 ग्रेनाइट | 41,082 | नवम्बर 2017 से अक्टूबर 2021 | 53,886 | 12,804 | 31.16 | 1.98 |
| | **योग** | | **1,45,253** | | **2,21,478.54** | **76,225.54** | | **4.80** |

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों से संकलित।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन चार पट्टेधारकों ने सीटीओ में अनुमत मात्रा से 0.76 लाख मीट्रिक टन अधिक खनिज का उत्खनन किया। तथापि, सम्बंधित खनि अभियंताओं ने अनाधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों के लिए ₹ 4.80 करोड़ की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

खनि अभियंता, सोजत के संबंध में सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि पट्टेधारक को नोटिस जारी कर दिया गया है तथा यदि पट्टेधारक का उत्तर असंतोषजनक पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनि अभियंता, राजसमंद के संबंध में सरकार ने उत्तर दिया कि पट्टेधारक को नोटिस जारी कर दिया गया है तथा पट्टेधारक ने अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। पट्टेधारक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने हेतु खनि अभियंता, राजसमंद को पत्र लिखा गया है। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

अनुच्छेद 2.5.1.1 एवं 2.5.1.2 के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ये सभी जानकारी विभागीय वेब-पोर्टल डीएमजीओएमएस[54] पर उपलब्ध थीं, फिर भी संबंधित खनि अभियंताओं ने इस अनियमितता पर ध्यान नहीं दिया तथा 2.07[55] लाख मीट्रिक टन खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन के लिए ₹ 20.45 करोड़[56] की वसूली नहीं की।

### *2.5.1.3 खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन और निर्गमन*

खनि अभियंता, जयपुर के अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2022) में पाया गया कि इस अवधि में कुल 807 अप्रधान खनिज खनन पट्टे संचालित किए जा रहे थे। विभागीय वेब आधारित पोर्टल डीएमजीओएमएस में उपलब्ध जानकारी तथा 50

54 डीएमजीओएमएसः खान और भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली एक वेब-आधारित ऐप्लीकेशन।

55 2.07 लाख मीट्रिक टनः ₹ 1.31 लाख मीट्रिक टन (तालिका 2.9 का योग) + 0.76 लाख मीट्रिक टन (तालिका 2.10 का योग)।

56 ₹ 20.45 करोड़ः ₹ 15.65 करोड़ (तालिका 2.9 का योग) + ₹ 4.80 करोड़ (तालिका 2.10 का योग)।

चयनित खनन पट्टों के संबंधित दस्तावेजों की जांच से पता चलता है कि खनन पट्टा संख्या 138/2001 ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिसंबर 2016 तक सीटीओ प्राप्त किया था, उसके बाद सीटीओ प्राप्त नहीं किया। वेब आधारित एप्लीकेशन "गूगल अर्थ प्रो" पर इस खनन पट्टे के निर्देशांकों की मैपिंग और समीक्षा करने के बाद यह पाया गया कि सीटीओ की समाप्ति के बाद भी, पट्टेधारकों ने खनिजों का उत्खनन जारी रखा (15 मई 2023 की अंतिम उपग्रह तस्वीर तक) और ई-रवन्ना के बिना खनिजों का निर्गमन किया गया।

इस पर इंगित किये जाने पर (सितंबर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि खान पर्यवेक्षक को खनन पट्टे का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया (नवंबर 2022)। 23 जून 2023 को भौतिक निरीक्षण के बाद खान पर्यवेक्षक ने बताया कि पट्टेधारक द्वारा 2377.25 मीट्रिक टन खनिज (चिनाई पत्थर) अनाधिकृत रूप से पनिर्गमित किया गया था। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया कि पट्टाधारक को सीटीओ प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया गया है एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, अनाधिकृत रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की लागत यानी ₹ 10.46 लाख[57] पट्टेधारक से वसूल योग्य थी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि मांग जारी की जा चुकी है तथा राशि शीघ्र ही वसूल की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

### 2.5.2 अवैध रूप से उत्खनित खनिज का कम आंकलन

*संबंधित अधिकारी द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज का कम आंकलन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 37.95 लाख रुपये की वसूली योग्य राशि कम दर्शायी गई है*

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधियाँ नहीं करेगा। नियम 54(3) खान एवं भूविज्ञान विभाग को यह अधिकार देता है कि उपनियम (1) के उल्लंघन में किये गये अपराध को खनिज की कीमत अर्थात अधिशुल्क का दस गुना और कम्पाउण्ड शुल्क के भुगतान पर प्रशमन कर सकता है।

सहायक खनि अभियंता, रूपवास के अगस्त 2013 से मार्च 2022 तक के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2022) में पाया गया कि अनाधिकृत खनन के लिए 36 पंचनामा बनाए गए थे। इनमें से ग्राम घाटोली के पास 23 अक्टूबर 2021 को चिनाई पत्थर खनिज के अवैध उत्खनन का पंचनामा बनाया गया था। मौके पर एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर कंप्रेसर भी जब्त किया गया था। पंचनामा के अनुसार अवैध खनन के गड्ढे का आकार 50 मीटर x 50 मीटर x 1.5 मीटर था।

[57] 2,377.25 मीट्रिक टन x 44 (प्रति मीट्रिक टन अधिशुल्क दर) x 10 = ₹ 10,45,990

खनिज की मात्रा का भार निकालने हेतु रूपांतरण कारक 2.5 प्रति घन मीटर लिया गया। संबंधित अधिकारी ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा 750 मीट्रिक टन आंकलित की। चिनाई पत्थर खनिज के लिए अधिशुल्क दर ₹ 44 प्रति मीट्रिक टन थी। इस प्रकार, संबंधित अधिकारी ने खनिज की लागत ₹ 3.30 लाख (750 मीट्रिक टन x ₹ 44 अधिशुल्क दर x 10) और ₹ 2.00 लाख का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया। चूंकि आरोपी अवैध खनन स्थल से फरार हो गए थे, इसलिए सहायक खनि अभियंता ने 750 मीट्रिक टन चिनाई पत्थर के अवैध उत्खनन के संबंध में रूपवास पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करवायी थी, जिसमें ₹ 5.30 लाख की वसूली योग्य राशि बताई गई।

पंचनामें की जांच में पाया गया कि गड्ढे के आकार के अनुसार, विभाग ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा 3,750 घन मीटर (50 मीटर x 50 मीटर x 1.5 मीटर) की गणना की जबकि वास्तव में अवैध रूप से उत्खनित चिनाई पत्थर खनिज की मात्रा 9,375 मीट्रिक टन (3,750 घन मीटर x 2.5 रूपांतरण कारक) थी। इस प्रकार, खनिज की लागत ₹ 41.25 लाख (9,375 मीट्रिक टन x ₹ 44 अधिशुल्क दर x 10) थी। तथापि, विभाग ने प्राथमिकी (एफआईआर) में वसूली योग्य राशि ₹ 5.30 लाख बताई। इस प्रकार, विभाग ने खनिज की कीमत ₹ 37.95 लाख (₹ 41.25 - ₹ 3.30 लाख) कम आंकलित की। परिणामस्वरूप, एफआईआर में वसूली योग्य राशि ₹ 37.95 लाख कम दर्शाई गई।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि वसूली योग्य राशि की गलत गणना के लिए संबंधित खान पर्यवेक्षक को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि मामला न्यायालयाधीन है और गणना में सुधार हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

## 2.6 बकाया राशि की अवसूली

छः खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹ 65.31 लाख की खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं वसूली यथोचित रूप से नहीं की गई। इनकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

### 2.6.1 प्रोसेसिंग शुल्क की वसूली का अभाव

*ई-रवन्ना और ई-ट्रांजिट पास जारी करने से संबंधित विनियमों का पालन न करने के कारण प्रोसेसिंग शुल्क ₹ 45.25 लाख की वसूली का अभाव*

3 जनवरी 2022 की अधिसूचना द्वारा आरएमएमसीआर नियम 2017 में उप-नियम 73(5) जोड़ा गया। इस उपनियम के अनुसार, प्रत्येक ई-रवन्ना के सृजन के लिए दस रुपये का ऑनलाइन प्रसंस्करण शुल्क देय किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिसूचना द्वारा नियम 92 को प्रतिस्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अधिशुल्क अदा की गई

खनिजों के परिवहन/निर्गमन हेतु *ई-ट्रांजिट* पास, पंजीकृत विक्रेता को प्रत्येक ई-ट्रांजिट पास के लिए दस रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क *ई-पेमेंट* के माध्यम से जमा कराने पर ही जारी किया जाएगा।

पांच खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता[58] कार्यालयों के अभिलेखों तथा विभागीय वेब-आधारित अनुप्रयोग डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध आंकड़ों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले खनन पट्टा धारकों एवं विक्रेताओं द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया गया और उन्होंने निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क जमा नहीं कराया। 3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान पट्टा धारकों एवं विक्रेताओं द्वारा कुल 7,54,708 ई-रवन्ना/ट्रांजिट पास जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹75.47 लाख की प्रोसेसिंग शुल्क राशि बकाया रहा, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-6*** में दर्शाया गया है। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ने प्रसंस्करण शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की हो।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2023)। सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि बताए गए प्रकरणों के संबंध में ₹30.22 लाख वसूल किए जा चुके हैं तथा शेष राशि वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

### 2.6.2 प्रीमियम राशि की अवसूली

*खनि अभियंता ने प्रीमियम की बकाया किश्तों की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.06 लाख की वसूली नहीं हो सकी*

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 13 में खनन पट्टों के लिए ई-नीलामी के लिए बोली मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस नियम के अनुसार, बोलीदाता, नियम 14 में निर्दिष्ट आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक प्रीमियम राशि राज्य सरकार को देय राशि के रूप में उद्धृत करेगा। सफल बोलीदाता प्रीमियम राशि का भुगतान चार किश्तों में निम्नानुसार करेगा:-

- प्रथम किश्त, प्रीमियम राशि का 40 प्रतिशत, ई-नीलामी पूरी होने के 15 दिनों के भीतर;
- द्वितीय किश्त, प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत, खनन पट्टा पत्र के निष्पादन या खदान अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले, जैसा भी प्रकरण हो;
- तृतीय किश्त, प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत, पट्टा/अनुज्ञप्ति अवधि के द्वितीय वर्ष के आरंभ में; तथा
- प्रीमियम राशि का शेष 20 प्रतिशत, पट्टा/अनुज्ञप्ति अवधि के तृतीय वर्ष के प्रारम्भ में देय होगा।

[58] खनि अभियंताः अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू एवं जोधपुर। सहायक खनि अभियंताः रूपवास

इसके अतिरिक्त, नियम 87 के प्रावधान के अनुसार, ऐसी कोई भी बकाया राशि जो किसी व्यक्ति द्वारा शासन को देय है या जिसके भुगतान के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, यदि वह राशि अप्राप्त रहती है तो उसे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। नियम 28(2)(xvii)(ए) में यह भी प्रावधान है कि पट्टा धारी द्वारा पट्टे में निहित किसी भी अनुबंध या शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, उच्चतर प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर, पट्टे को समाप्त कर सकता है तथा परिसर का कब्ज़ा पुनः ले सकता है।

खनि अभियंता, मकराना के अप्रैल 2020 से मार्च 2022 अवधि तक के अभिलेखों की जांच में पाया गया (अगस्त 2022) कि 12 खनन पट्टे ई-नीलामी (4 अक्टूबर 2018) के माध्यम से जारी किए गए थे और इन खनन पट्टों के अनुबंध 24 दिसंबर 2020 को पंजीकृत किए गए थे। इन खनन पट्टों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 11 खनन पट्टाधारकों ने प्रीमियम की तृतीय किश्त (बोली राशि का बीस प्रतिशत) ₹ 20.06 लाख (***परिशिष्ट-7***) देय तिथि (21 दिसंबर 2021) तक जमा नहीं कराई। हालांकि, खनि अभियंता ने पट्टाधारकों को बकाया राशि जमा कराने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया। इस बीच, इन पट्टों की चतुर्थ किश्त ₹ 20.06 लाख भी 21 दिसंबर 2022 को देय हो गई। इस प्रकार सितंबर 2023 तक कुल ₹ 40.12 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि पट्टेधारकों ने तृतीय किश्त की राशि ₹ 20.06 लाख जमा करा दी है, लेकिन चतुर्थ किश्त की बकाया मांग के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

## 2.7 रवन्ना का दुरुपयोग कर खनिजों का अनाधिकृत निर्गमन

*दस पट्टाधारकों द्वारा उनके नाम स्वीकृत खनन पट्टों से जारी रवन्ना के माध्यम से अनधिकृत रूप से उत्खनित कुल 5.92 लाख मीट्रिक टन खनिजों का निर्गमन किया गया, हालांकि, संबंधित खनि अभियंता द्वारा न तो इस अवैध खनन का पता लगाया गया और न ही ₹20.23 करोड़ की खनिज के मूल्य की वसूली की गई।*

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधियाँ नहीं करेगा और खानों से खनिज का निर्गमन विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा।

नियम 54(2) में निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, कोई व्यक्ति किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही खनिजों का परिवहन या संग्रहण करने का कारण बनेगा। इसके अलावा, नियम 54(3) के अनुसार, खान

एवं भूविज्ञान विभाग को खनिज का मूल्य[59] वसूल कर ऐसे प्रकरणों को निपटाने का प्राधिकार दिया गया।

पांच[60] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा (मई 2022 से दिसंबर 2022) के दौरान पाया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कुल 2,048 खनन पट्टे (अप्रधान खनिज) संचालित किए जा रहे थे। इनमें से 220 खनन पट्टों को नमूना जांच के लिए चयन किया गया। चयनित पट्टों के निर्देशांकों को "गूगल अर्थ प्रो" एप्लीकेशन पर मानचित्रित कर उनकी समीक्षा की गई। इन पट्टों से निर्गमित खनिज के संबंध में जानकारी विभागीय वेब-आधारित एप्लीकेशन डीएमजीओएमएस[61] पर उपलब्ध थी। डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध जानकारी और गूगल अर्थ प्रो से चयनित पट्टों के छायाचित्रों की जांच में पाया गया कि 10 पट्टों[62] में कोई उत्खनन गतिविधियां नहीं होने के बावजूद, 21,687 रवन्नाओं के माध्यम से कुल 5.92 लाख मीट्रिक टन खनिज निर्गमित किये गए। विवरण **तालिका 2.11** में प्रस्तुत है।

**तालिका 2.11: रवन्नाओं के दुरुपयोग से रवानगी किये गए खनिजों का विवरण**

| क्र. संख्या. | कार्यालय का नाम | लेखापरीक्षा अवधि | कुल पट्टों की संख्या तथा (चयनित पट्टे) | चयनित पट्टे | पट्टों की संख्या जहां रवन्नाओं का दुरुपयोग हुआ है | निर्गमित खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में) | दुरुपयोग किये गये रवन्नाओं की संख्या | खनिजों की लागत (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खनि अभियंता अजमेर | 2021-22 | 492 | 50 | 5 | 82,160.73 | 4,720 | 3.39 |
| 2 | सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा | 2020-22 | 71 | 20 | 1 | 83,095.46 | 2,118 | 5.47 |
| 3 | खनि अभियंता करौली | 2021-22 | 257 | 50 | 1 | 37,728.03 | 5,262 | 1.09 |
| 4 | खनि अभियंता सिरोही | 2021-22 | 421 | 50 | 1 | 10,877.15 | 471 | 0.31 |
| 5 | खनि अभियंता जयपुर | 2020-22 | 807 | 50 | 2 | 3,77,691.02[63] | 9,116 | 9.97 |
| | **योग** | | **2,048** | **220** | **10** | **5,91,552.39** | **21,687** | **20.23** |

इस प्रकार, जैसा कि ऊपर **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है, इन 10 पट्टेधारकों द्वारा 21,687 रवन्नाओं का दुरुपयोग कर, ₹ 20.23 करोड़ (***परिशिष्ट-8***) की लागत के कुल 5.92 लाख मीट्रिक टन खनिज का अवैध रूप से निर्गमन किया गया। हालांकि, संबंधित खनि

59 खनिज का मूल्य: खनिज की अधिशुल्क राशि का 10 गुना।

60 खनि अभियंता: अजमेर, करौली, सिरोही, जयपुर तथा सहायक खनि अभियंता निंबाहेड़ा।

61 डीएमजीओएमएस: एक वेब-आधारित एप्लीकेशन "खान एवं भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली"।

62 खनि अभियंता अजमेर: पांच पट्टे; खनि अभियंता करौली: एक पट्टा; खनि अभियंता सिरोही: एक पट्टा; खनि अभियंता जयपुर: दो पट्टे तथा सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा: एक पट्टा।

63 3,77,691.02 मीट्रिक टन खनिज में से 2,84,912.28 मीट्रिक टन खनिज ऑफलाइन रवन्नाओं का दुरुपयोग करके भेजा गया। ऑफलाइन रवन्नाओं की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उपयोग किए गए रवन्नाओं की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

अभियंता/सहायक खनि अभियंता अवैध खनन का न तो पता लगाया गया और न ही ₹20.23 करोड़ की खनिज लागत की वसूली की गई।

उपर्युक्त खनन पट्टों में से एक का उदाहरणात्मक उपग्रह चित्र नीचे दर्शित है:

उपग्रह चित्र 29 मई 2003 | उपग्रह चित्र 15 नवम्बर 2014 | उपग्रह चित्र 07 अक्टूबर 2021

***चित्र 1***

उपग्रह चित्रों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि 29 मई 2003 से 07 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान खनन पट्टा संख्या 134/1997 (खनि अभियंता जयपुर) पर कोई खनन गतिविधि नहीं थी। तथापि, पट्टेधारक ने जून 2004 से 07 अक्टूबर 2021 के दौरान इस पट्टे के लिए जारी रवन्नाओं के माध्यम से 3.72 लाख मीट्रिक टन खनिजों का निर्गमन किया गया।

तथ्य यह दर्शाते हैं कि आवंटित क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों से उत्खनित खनिजों के परिवहन के लिए रवन्नाओं का दुरुपयोग किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2023 और दिसंबर 2023) कि खनि अभियंता, करौली ने संबंधित पट्टेधारक के विरुद्ध ₹1.09 करोड़ की मांग जारी (जुलाई 2023) की थी। खनि अभियंता, सिरोही द्वारा सम्बंधित प्रकरणों की जांच वर्तमान में उनके अधिकार क्षेत्र में की जा रही है। सात पट्टेधारकों (खनि अभियंता अजमेर और जयपुर) को नोटिस जारी किए गए हैं और इन पट्टेधारकों के प्रत्युत्तरों की जांच करने के लिए खान पर्यवेक्षक को निर्देश दिए गए हैं। सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा ने भी एक पट्टेधारक को नोटिस जारी किया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

## 2.8 निष्पादन प्रतिभूति का बकाया अनुबंध राशि के विरुद्ध समायोजन न किए जाने के कारण अनुबंध राशि की अवसूली

*सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा ने निष्पादन प्रतिभूति राशि को बकाया अनुबंध राशि के विरूद्ध समायोजित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार से ₹ 45.82 लाख की वसूली नहीं हो सकी।*

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 44(26) में प्रावधान है कि अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अनुबंधधारी को पंद्रह दिन का नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अनुबंध समाप्त कर सकता हैं। इसके अलावा, इन नियमों के नियम 41 के अनुसार, ठेकेदार को वार्षिक अनुबंध राशि के 15 प्रतिशत के बराबर निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा जिसे अनुबंध की समाप्ति या निरस्तीकरण के पश्चात ठेकेदार के विभागीय बकाया के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा के अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि तक के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसंबर 2022) कि कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क[64] के संग्रह के लिए तीन अनुबंध निष्पादित किए गए थे। इन अनुबंधों की पत्रावली की जांच से पता चला कि कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में खनन पट्टों से निर्गमित खनिजों[65] पर अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिए एक ठेकेदार के पक्ष में 06 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था (मार्च 2019)। वार्षिक अनुबंध राशि ₹ 3.06 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा अधिशुल्क दरों में वृद्धि की गयी जो 22 अगस्त 2019 से प्रभावी थी। परिणामस्वरूप, वार्षिक अनुबंध राशि को संशोधित कर ₹ 3.49 करोड़ कर दिया गया (अगस्त 2019)। नियमों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा **तालिका 2.12** में दिए गए विवरण के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में ₹ 45.82 लाख की निष्पादन प्रतिभूति जमा की गई थी।

**तालिका 2.12: निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी का विवरण**

| क्र.संख्या | बैंक गारंटी की दिनांक | गारंटी राशि (₹ लाखों में) | गारंटी की वैधता अवधि (तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.2018 | 34.96 | 10.10.2021 |
| 2 | 05.04.2019 | 10.86 | 04.04.2022 |

यह देखा गया कि ठेकेदार को बकाया राशि जमा कराने हेतु जारी 15 दिन के नोटिस की अनुपालना न करने के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया गया था (24 अप्रैल 2020)। अनुबंध निरस्तीकरण की तिथि तक, ठेकेदार के विरूद्ध ₹ 45.56 लाख बकाया थे। ठेकेदार ने 22 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 और पूर्ण लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान का हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक सिविल रिट याचिका दायर की। माननीय न्यायालय

[64] "अधिक अधिशुल्क संग्रहण अनुबंध" का अर्थ है, अनुबंध में निर्दिष्ट क्षेत्र से खनन पट्टेधारक द्वारा प्रेषित निर्दिष्ट खनिज के लिए सरकार की ओर से वार्षिक स्थिर भाटक और अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शुल्क से अधिक अधिशुल्क एकत्र करने का अनुबंध।

[65] रेड ओकर, येलो ओकर, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज और सिलिका रेत।

ने आदेश दिया (05 मई 2020) कि विभाग, लॉकडाउन अवधि से संबंधित राशि का भुगतान न करने के कारण अनुबंध को समाप्त नहीं करेगा। यह भी आदेश दिया गया कि ठेकेदार को आदेश जारी होने के सात दिनों की अवधि के भीतर अपने सभी बकाया (22 मार्च 2020 तक) का भुगतान करना आवश्यक था। इसके बाद, ठेकेदार ने अनुबंध को आगे बढ़ाने में कोई रूचि नहीं दिखाई और पुनः माननीय न्यायालय में अपील की। फलस्वरूप, माननीय न्यायालय ने 08 जून 2020 तक देय राशि[66] जमा करने का आदेश (03 जून 2020) जारी किया। यह भी आदेश दिया गया कि खान विभाग न्यायालय की अनुमति के बिना निष्पादन प्रतिभूति का नकदीकरण नहीं करेगा। तथापि, ठेकेदार के लिए यह आवश्यक था कि वह पूर्व निष्पादन प्रतिभूति की अवधि समाप्त होने से कम-से-कम सात दिन पूर्व बैंक गारंटी/निष्पादन प्रतिभूति का नवीनीकरण करें। यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता, तो खान विभाग को बिना किसी अतिरिक्त आदेश के निष्पादन प्रतिभूति के नकदीकरण करने का अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ठेकेदार ने न तो निर्धारित समय में बकाया राशि जमा की और न ही नई निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की। तथापि, सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा ने निष्पादन प्रतिभूति का नकदीकरण नहीं किया गया। पिछली निष्पादन प्रतिभूति की वैधता 10 अक्टूबर 2021 तथा 04 अप्रैल 2022 को समाप्त हो चुकी थी।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी निष्पादन गारंटी का नकदीकरण न होने के कारण बैंक गारंटी के समकक्ष राशि ₹ 45.82 लाख की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए एक समिति गठित की गई (3 फरवरी 2022) थी। समिति ने निदेशालय को बताया कि कार्यालय द्वारा अनुबंध अनियमित रूप से निरस्त किया गया था। इसलिए निष्पादन प्रतिभूति को ठेकेदार की बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध रद्द करने से पहले ठेकेदार पर ₹ 45.56 लाख बकाया थे। ठेकेदार उक्त राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था, जो जमा नहीं कराई गई थी (जून 2024)। इसके अलावा, शासन द्वारा अनुबंध के अनियमित निरस्तीकरण के लिए किसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2025)।

[66] 22 मार्च 2020 तक की अवधि।

## 2.9 मासिक विवरणी भरने में देरी के लिए विलंब शुल्क का अधिरोपण न किया जाना

*चौदह सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं ने 48 खनन पट्टाधारकों द्वारा मासिक प्रतिवेदन विलंब से भरने पर ₹ 9.35 करोड़ की विलंब शुल्क राशि की वसूली एवं अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। साथ ही, अन्य 58 खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध विवरणी जमा न करने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।*

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 28(2)(iv)(डी) के प्रावधान के अनुसार, पट्टेधारक को आगामी माह की 15 तारीख तक मासिक ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत करनी होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पट्टेधारक निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे प्रति विलंब दिन के आधार पर ₹500 की दर से विलंब शुल्क (अधिकतम ₹50000) का भुगतान करके प्रस्तुत कर सकता है।

14 सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता[67] कार्यालयों के अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक की अवधि के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसंबर 2023) कि:

- 48 पट्टेधारकों ने 31 मार्च 2023 (एमनेस्टी योजना की समाप्ति की तिथि) के बाद 1,871 मासिक विवरणी विलंब से प्रस्तुत किए, जिनमें विलंब अवधि 351 से 2,147 दिनों के बीच थी। इसके लिए संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा ₹ 9.35 करोड़ रुपये की राशि का विलम्ब शुल्क अधिरोपित की जानी थी।
- 58 पट्टेधारकों ने 2,678 मासिक विवरणी 17 से 48 माह की अवधि के लिए प्रस्तुत ही नहीं की।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2023) कि 31 मार्च 2023 के बाद विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने वाले पट्टाधारकों के विरुद्ध ₹ 9.35 करोड़ की विलंब शुल्क वसूली हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, और न ही उन पट्टाधारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत नहीं की।

इस प्रकार, ₹ 9.35 करोड़ रुपये का विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया जा सका तथा विवरणी प्रस्तुत न करने के प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2023), सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि पट्टेधारकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण फिर से सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2024); उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

[67] अजमेर, जालौर, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, झुंझुनू, मकराना, जयपुर, कोटा, रूपवास, सवाई माधोपुर, सोजत सिटी, उदयपुर एवं राजसमंद।

## 2.10 ऑनलाइन मांग पंजिका में पूर्व दिनांकित प्रविष्टि के माध्यम से पट्टाधारक को अनुचित लाभ दिया जाना

*सहायक खनि अभियंता ने अवैध खनन की मांग निर्धारित अवधि में ऑनलाइन मांग पंजिका में दर्ज नहीं की। इस चूक के कारण पट्टाधारक ने ₹ 6.33 लाख रुपये के ई-रवन्ना जारी किये जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹ 20.73 लाख रुपये की वसूली नहीं की जा सकी।*

प्रबंधन परिवर्तन नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि डेटाबेस में किए गए संशोधन उचित रूप से अनुमोदित, परीक्षणित, स्वीकृत एवं प्रलेखित हों। इन नियंत्रणों से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी सिस्टम और प्रोग्राम में किए गए परिवर्तन उचित रूप से न्यायोचित, अधिकृत, अभिलेखित तथा परीक्षणित हों और परिवर्तनों का पर्याप्त ऑडिट ट्रेल संधारित किया जाए। सभी परिवर्तन प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। कमजोर परिवर्तन नियंत्रणों के कारण सॉफ्टवेयर या डेटा में आकस्मिक अथवा दुर्भावनापूर्ण परिवर्तन किए जा सकते हैं।

खान एवं भूविज्ञान विभाग, विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन विभागीय वेब-पोर्टल डीएमजीओएमएस का उपयोग करता है। इस पोर्टल के एक मॉड्यूल में मांग रजिस्टर सम्मिलित है। जब भी पट्टेधारकों से कोई राशि देय होती है, तो सिस्टम में मांग दर्ज की जाती है और यदि राशि जमा हो जाती है, तो उसे भी सिस्टम में दर्शाया जाता है। इसके अलावा, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय के आदेश (18 अक्टूबर 2017) के अनुसार खनन पट्टाधारक द्वारा ई-रवन्ना तभी जारी किया जा सकता है, जब उस पर कोई विभागीय बकाया न हो।

सहायक खनि अभियंता, सवाई माधोपुर के अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि तक के अभिलेखों जाच में पाया गया (नवंबर 2022) कि पट्टा संख्या 78ए/2010 के धारक के विरुद्ध पट्टा क्षेत्र से बाहर 2,820 घन मीटर (7,332 मीट्रिक टन) चिनाई पत्थर के अवैध खनन के लिए 2 फरवरी 2022 को ₹20.73 लाख की मांग जारी की गई थी। हालांकि, जनवरी 2024 तक डीएमजीओएमएस में ऑनलाइन मांग पंजिका में मांग दर्ज नहीं की गई थी। विभाग ने सूचित किया (27 फरवरी 2024) कि डीएमजीओएमएस एप्लीकेशन में ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट नोट मॉड्यूल का उपयोग करके पट्टाधारक के विरुद्ध डीएमजीओएमएस में मांग दर्ज की गई थी। सहायक खनि अभियंता द्वारा 1 फरवरी 2024 को मांग प्रविष्टि की गई थी और डेबिट प्रविष्टि 2 फरवरी 2022 को की गयी।

यह प्रविष्टि भूतलक्षी रूप से सिस्टम में दर्ज की गई थी। परिणामस्वरुप, पूर्व दिनांकित प्रविष्टि आगामी वर्ष के मांग रजिस्टर में अग्रेषित नहीं हुई, और पट्टाधारक के विरुद्ध आगे के वर्षों की बकाया राशि सही रूप से प्रदर्शित नहीं हुई। फलस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक ₹ 20.85 लाख[68]

---

[68] इसमें ₹ 0.12 लाख अन्य लंबित मांग शामिल है ।

की मांग को 01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष के रूप में नहीं दिखाया गया। यह त्रुटि अगले वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ऑनलाइन मांग पंजिका में भी बनी रही। इसके अलावा, 2 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान ₹ 6.33 लाख की अधिशुल्क राशि के ई-रवन्ना अनियमित रूप से जारी किए गए, जबकि उक्त राशि विभाग को देय थी।

इसके बाद, सरकार ने डीएमजीओएमएस में सिस्टम की कमियों के बारे में सहमति व्यक्त की (मई 2024) और कहा कि मॉड्यूल को अद्यतन किया जा रहा है और वर्तमान में विभागीय सर्वर पर परीक्षण जारी है। पट्टाधारक, जैसा कि आक्षेप में अनुचित लाभ के बारे में बताया गया है, के सम्बन्ध में सहायक खनि अभियंता (सवाई माधोपुर) से विस्तृत उत्तर प्रतिक्षित है। जबकि तथ्य यह है कि पट्टाधारक को ₹20.85 लाख का अनुचित लाभ दिया गया, जिसकी वसूली नहीं की जा सकी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

## 2.11 पट्टे के हस्तांतरण के संबंध में पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की अवसूली

*आरएमएमसी नियम, 2017 तथा राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पट्टा हस्तांतरण से संबंधित पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹7.62 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ*

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 27 (4) के तहत प्रावधान है कि जहां खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए आदेश जारी किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर फॉर्म-12 में हस्तांतरण पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा। नियम 27(5) के अनुसार, पट्टा का हस्तांतरण उस तिथि से प्रभावी होगा जिस दिन हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण किया गया हो।

नियम 27 (6) में प्रावधान है कि खनन पट्टा के हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के दो माह के भीतर किया जाना चाहिए तथा संबंधित खनि अभियंता अथवा सहायक खनि अभियंता को वापस कर दिया जाएगा। बशर्ते कि यदि निर्धारित अवधि में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन अथवा पंजीकरण नहीं किया गया तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरण आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा और आवेदन शुल्क एवं प्रीमियम राशि जब्त कर ली जाएगी।

नियम 27(7)(iii) में प्रावधान है कि किसी कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण, जिसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनी के प्रबंधन या स्वामित्व अधिकार के नियंत्रण में परिवर्तन होता है, उसे भी हस्तांतरण माना जाएगा। नियम 27(8) में प्रावधान है कि पट्टेधारक या अनुज्ञप्तिधारी उपनियम (7) में उल्लिखित किसी भी परिवर्तन के सम्बन्ध में 60 दिनों के भीतर उपनियम (9) में उल्लेखित आवेदन शुल्क और प्रीमियम राशि के साथ संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को सूचित करेगा। इस स्थिति में प्रासंगिक कानून के अंतर्गत हस्तांतरण उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को भागीदार या निदेशक का परिवर्तन हुआ हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्त विभाग (कर अनुभाग), राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के तहत खनन प्रयोजनों हेतु भूमि की दरों में संशोधन किया (21 नवंबर 2019), इसके अनुसार, खनन पट्टा के हस्तांतरण की स्थिति में भूमि दर उस क्षेत्र की कृषि भूमि दर के चार गुना या वार्षिक स्थिर भाटक राशि के चार गुना के बराबर होगी, साथ ही स्थल पर किए गए विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय जोड़े जाएंगे, अथवा पिछले चार वर्षों की अधिशुल्क राशि के साथ विकास कार्यों की लागत और अन्य व्यय जोड़े जाएंगे; जो भी राशि अधिक होगी, वही देय होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (फरवरी 2023) कि नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, लाखेरी सीमेंट वर्क्स, बूंदी के पास कोटपुतली में चूना पत्थर और संगमरमर के उत्खनन के लिए 96.25 हेक्टेयर भूमि का खनन पट्टा संख्या 259/1994 था। यह कंपनी एसीसी लिमिटेड द्वारा 20 अप्रैल 2009 को अधिग्रहित की गई थी । तब से, नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी बन गयी। तथापि, 30 नवंबर 2020 को 100 प्रतिशत शेयरधारिता एसीसी लिमिटेड से एन.जी. गढ़िया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को पुनः हस्तांतरित कर दी गई। नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 24 दिसम्बर 2020 को नियम 27(7)(iii) के तहत शेयर हस्तांतरण द्वारा पट्टा हस्तांतरण की सूचना देने हेतु नियम 27(8) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया और उचित हस्तांतरण आदेश जारी करने हेतु अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के समक्ष ₹25,000 का हस्तांतरण आवेदन शुल्क और ₹10 लाख का हस्तांतरण प्रीमियम राशि जमा करवायी। अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर ने मूल अनुबंध की शर्तों पर खनन पट्टे को जारी रखने की अनुमति दी (8 अप्रैल 2021)। इसकी अनुपालना में, नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि और खनि अभियंता, जयपुर के बीच स्टांप पेपर पर एक पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया (21 मई 2021), जबकि फॉर्म-12 में एक हस्तांतरण पट्टा विलेख निष्पादित की जानी चाहिए थी। सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली ने नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से दो महीने के भीतर उक्त पूरक अनुबंध के पंजीकरण और उसके बाद मूल पंजीकृत पूरक अनुबंध उन्हें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (25 मई 2021)। नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इसका विरोध किया तथा अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (19 जुलाई 2021)। अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर ने इस मामले को निदेशालय के समक्ष आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु प्रस्तुत किया (23 जुलाई 2021)। तत्पश्चात, 26 अगस्त 2021 को अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर ने सूचित किया कि सरकारी निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में केवल सूचना देना ही पर्याप्त है और अलग से कोई हस्तांतरण आदेश आवश्यक नहीं है।

इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई अभिलेख नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि जब एसीसी लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2009 को नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया था, तब पट्टा का हस्तांतरण विधिवत रूप से एसीसी लिमिटेड को किया गया था।

सरकार ने आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 27 के प्रासंगिक प्रावधानों की गलत व्याख्या की और पट्टाधारक को अनुचित लाभ पहुँचाया। इसके परिणामस्वरूप पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क के रूप में राजकोष को ₹7.62 करोड़[69] का राजस्व नुकसान हुआ है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि खान एवं भूविज्ञान निदेशालय के निर्देशों (16 अगस्त 2023) के अनुपालना में, सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली ने पट्टाधारक को आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 27(7) के अनुसार देय स्टाम्प शुल्क जमा करने हेतु नोटिस जारी किया था (12 दिसंबर 2023)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

---

[69] भूमि की कीमत = ₹ 86,58,19,185 (दर ₹ 22,48,881 प्रति हेक्टेयर x चार गुना x ₹ 96.25 हेक्टेयर) (मुद्रांक शुल्क 6 प्रतिशत, उस पर 30 प्रतिशत अधिभार तथा एक प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क)।